पी. एण्ड एस. बैंक राजभाषा

अंकुर

जून 2015

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ॥

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

Punjab & Sind Bank

(राजभाषा विभाग)

पी.एस.बी

हमारा बैंक और जन योजनाएँ

पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल से मंत्रणा करते हुए बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय श्री जतिन्दर बीर सिंह।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका

राजभाषा अंकुर

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

'बैंक हाउस', प्रथम तल, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110 125

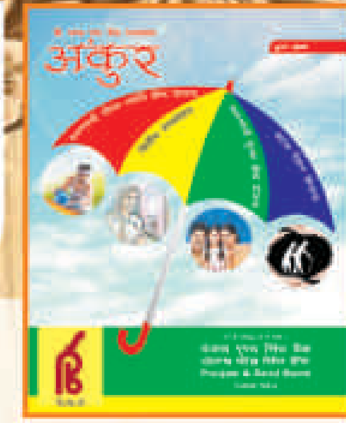

जून, 2015

मुख्य संरक्षक

श्री जतिन्दरबीर सिंह, आई.ए.एस.
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक

श्री एम. के. जैन
कार्यकारी निदेशक

मुख्य संपादक

श्री दीन दयाल शर्मा
महाप्रबंधक (राजभाषा)

संपादक व प्रकाशक

श्री राजिंदर सिंह बेवली
मुख्य प्रबंधक
प्रभारी, राजभाषा

संपादक मंडल

श्री कुलदीप सिंह खुराना
वरिष्ठ प्रबंधक, राजभाषा

श्री त्रिलोचन सिंह, डॉ. नीरू पाठक
प्रबंधक

श्री सोनी कुमार
राजभाषा अधिकारी

पंजीकरण सं. : एफ. 2(25) प्रेस. 91

'राजभाषा अंकुर' में प्रकाशित सामग्री में दिए गए विचार संबंधित लेखकों के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना ज़रूरी नहीं है। सामग्री की मौलिकता एवं कॉपी राइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी है।

मुद्रक : मोहन प्रिंटिंग प्रेस
8/35ए, कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110015
फोन : 98100 87743

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	संपादक मंडल / विषय-सूची	1
2.	आपकी कलम से	2
3.	संपादकीय	3
4.	विमोचन	4
5.	संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण	5
6.	हरे भरे वृक्षों के होने से.........	6-8
7.	आंचलिक प्रबंधक सम्मेलन	9
8.	आचार नीति-मूल्य एवं सुरक्षात्मक सतर्कता	10-11
9.	सामाजिक सुरक्षा कवच-एक अनूठी पहल	12-13
10.	दावा भुगतान में बैंक की तत्परता	14
11.	संसदीय राजभाषा समिति का आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति	15
12.	एक अयाचित व्यक्तित्व (उड़िया कहानी)	16-17
13.	खुदरा ऋण - बैंकिंग विकास का मंत्र	18-20
14.	गतिविधियाँ	21
15.	गुरूपर्व	22-23
16.	बैंक की नराकास उपलब्धियाँ	24
17.	सामाजिक सुरक्षा योजनाएं	25-29
18.	काव्य मंजूषा	30-31
19.	हमें इन पर गर्व है	32
20.	एकता से सुधार की ओर भारत / ज़रा सोचिए	33
21.	स्वच्छ भारत अभियान	34-35
22.	बैंकिंग उद्योग में बिचौलियों का प्रभुत्व	36-37
23.	जिंदगी	37
24.	हिंदी/पंजाबी कार्यशाला	38
25.	मस्तिष्क मंथन तथा आपसी संवाद-सार्थक दिशा	39
26.	पगला भाग गया (कहानी)	40-41
27.	फेसबुक (कहानी)	42
28.	उद्घाटन	43
29.	वार्षिक कार्यक्रम	44

आपकी कलम से

मार्च 2015 का 'अंकुर' मिला। एक ही बैठक में पढ़ डाला। सारे लेख ज्ञानवर्धक एवम् मनोरंजक लगे।

कुछ एक लेखों का संक्षेप में ब्यौरा देना चाहूँगा। अजय अरोड़ा द्वारा लिखित "ये दौलत भी ले लो......" अच्छा लगा। खासतौर पर उनका अपना अनुभव और उनकी जगजीत सिंह के साथ मुलाकातें दिल को छू गई। लेख के अंत में करुणा की झलक भी आई। जगजीत सिंह जैसा गज़ल गायक शायद अब पैदा ही न हो। या फिर सैंकड़ों साल बाद प्रगट हो। प्रदीप कुमार राय का 'परवरिश' आज के माता-पिता के लिए अच्छी शिक्षा देता है। मां-बाप बच्चों का अच्छा पालन-पोषण कर और अच्छे संस्कार देंवे तो शायद समाज की दशा ही बदल जाए। नारी की व्यथा दर्द और साथ ही आशावाद को शिवानी सक्सेना ने 'दामिनी का दर्द' में भलि-भांति दर्शाया। कविता, सच में मन को छू गई। खासतौर पर कुछ अंतिम पंक्तियां। अपने छोटे से लेख 'ज़रा सोचिए' में राजिंदर सिंह बेवली ने सचमुच में हमे गहरी सोच में डाल दिया। मन को झकझोर दिया कि हमें अपने को बदलना चाहिए। अपना दूसरों के प्रति व्यवहार सुधारना चाहिए। पत्रिका की रूपरेखा, प्रिंट सभी तस्वीरें, आदि सुंदर और आकर्षित है। संपादक तथा अन्य जुड़े कर्मियों को हृदय से बधाई।

- उपदेश सिंह सचदेवा, चंडीगढ़

महोदय,

अंकुर का मार्च 2015 अंक प्राप्त हुआ, और सदैव की भांति मन पत्रिका की हर रचना को पढ़ने के लिए व्याकुल हो उठा। अंकुर में प्रकाशित प्रत्येक रचना अपने भाव प्रकट करती है। सभी रचनाकारों ने बहुत ही सुंदर रोचक एवं आकर्षक ढंग से अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की है। पढ़कर ऐसा लगता है कि पत्रिका में कुशल लेखक, कवि, व्यंगकार, दार्शनिक, सचेतक, समाज सुधारक एवं प्रेरक एक साथ अपने अनुभव एवं ज्ञान से पाठक को सरोबार कर रहा है। निश्चय ही यह कार्य आपके सुदृढ़ नेतृत्व में पत्रिका को सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाने की राह है। पत्रिका में श्री जगमोहन सिंह मक्कड़ का लेख निश्चय ही ज्ञानवर्धक है, जिसमें लेखक ने प्रतीक चिन्हों की पहचान एंव विचारधारा से जोड़ने की बात कही, साथ ही रंगों की व्याख्या करते हुए आदर्श वाक्य के प्रयोग की महत्ता बताई। श्री मक्कड़ ने इन्हीं रंगों में हमारे बैंक की छवि को प्रभावी ढंग से बताया है। हमारा बैंक न सिर्फ सकारात्मक सोच रखता है बल्कि धर्म और व्यक्ति की सेवा का भाव रखते हुए आसमान की ऊँचाइयों को छूने की ओर अग्रसर है। अंत में श्री अजय अरोड़ा द्वारा "ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो......" पढ़कर एक बार फिर मन जगजीत सिंह की ग़ज़लों में गुम हो गया।

मेरा साधुवाद।

- अशोक कुमार सिन्हा
आँचलिक प्रबंधक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, कोलकाता

सम्पादक महोदय

बैंक की त्रैमासिक पत्रिका अंकुर का नवीनतम अंक प्राप्त हुआ। यह देख कर अतीव प्रसन्नता हुई कि इस पत्रिका का स्वरूप उत्तरोत्तर निखरता ही जा रहा है व ये गुणवत्ता की नित नई ऊंचाईयों को प्राप्त कर रहा है। छायाचित्र बैंक की विविध गतिविधियों को सुव्यवस्थित रूप से परिलक्षित करते हैं व कार्मिकों को प्रेरित करते हैं।

लेख 'बोलचाल की हिंदी' की प्रस्तुति ज्ञानवर्धक व प्रेरणा प्रदान करने वाला है। सामयिक 'ऋतुराज बसंत' प्रशंसनीय है। अन्य प्रयास भी सराहनीय है। पत्रिका की सज्जा, लेखन सामग्री का चयन व प्रस्तुति हेतु सम्पादक मण्डल बधाई के पात्र है। पत्रिका निरन्तर निखरती रहे व सफलता के नए आयाम प्राप्त करे, ऐसी कामना है। शुभकामना सहित।

- संजीव श्रीवास्तव
आँचलिक प्रबंधक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
आँचलिक कार्यालय, बरेली

सम्पादकीय

यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज भारत के सभी प्रांतों के भाषा-भाषी हमारे बैंक में कार्यरत हैं। राजभाषा अंकुर पत्रिका, सभी कार्मिकों को एक स्वर देने के लिए प्रतिबद्ध है। पत्रिका के इस अंक से हमने क्षेत्रीय भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देना प्रारंभ किया है जो अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। इसी कड़ी में सर्वप्रथम श्री रुद्र प्रसाद मोहन्ती द्वारा रचित अत्यंत मर्मस्पर्शी ओडिया कहानी - एक अयाचित व्यक्तित्व, हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित की है। हिंदी के साथ-साथ देश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य है। हमारा प्रयास बैंक में कार्यरत सभी हिंदितर भाषा-भाषी कार्मिकों के विचारों को साहित्यिक रचनाओं के द्वारा पाठकों तक पहुँचाना है जिससे पत्रिका के माध्यम से हिंदी एवं हिंदीत्तर भाषाओं में सेतु निर्माण किया जा सके। अतः आप सभी इसमें बढ़-चढ़कर भाग लें जिससे पत्रिका संपूर्ण बैंकिंग जगत में भाषाई एकता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर सके।

हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए प्रारंभ की गई तीन बहुआयामी योजनाओं से संबंधित लेखों को भी पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। श्री हरविंदर सिंह, महाप्रबंधक का लेख-सामाजिक सुरक्षा कवच.... तथा श्री पीयूष चतुर्वेदी का लेख सामाजिक सुरक्षा योजनाएं,.... अपने आप में संपूर्ण हैं। योजनाओं से संबंधित जानकारी को समाहित किए ये लेख ज्ञानवर्धक होने के साथ अनुकरणीय भी हैं।

आज संपूर्ण विश्व पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा है। वित्त-मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के संयुक्त निदेशक (राजभाषा) डॉ. वेद प्रकाश दूबे जी का लेख 'हरे भरे वृक्षों के होने से जीवन चहकेगा' जीवन में वृक्षों के महत्व को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त भी कहानी, लेख, कविता तथा चित्रों के माध्यम से पत्रिका को रोचक बनाने का हमारा प्रयास है।

आशा है पत्रिका आपको पसंद आएगी। अपनी रचनाएं हमें प्रेषित करते रहें तथा पत्रिका के बारे में अपनी प्रतिक्रिया से भी हमें अवगत कराएं ताकि हम इस पत्रिका को पाठकों की रुचि तथा आवश्यकतानुसार समृद्ध कर सकें।

(दीन दयाल शर्मा)
महाप्रबंधक (राजभाषा)

हिंदी से किसी भारतीय भाषा को भय नहीं है। यह सबकी सहोदर है। — महादेवी वर्मा

विमोचन

पी. एण्ड एस. बैंक राजभाषा अंकुर पत्रिका के मार्च 2015 के अंक का विमोचन संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति के संयोजक माननीय श्री हुक्मदेव नारायण के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। महाप्रबंधक (राजभाषा) श्री दीन दयाल शर्मा तथा वरिष्ठ प्रबंधक श्रीमती इन्दरपाल कौर विमोचन के लिए पत्रिका प्रस्तुत करते हुए।

श्रीमती इन्दरपाल कौर, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) तथा सुश्री मधु रानी पी. एण्ड एस. बैंक राजभाषा अंकुर पत्रिका पर माननीय श्री हुक्म देव नारायण तथा श्री शादीलाल बत्रा जी के हस्ताक्षर लेते हुए।

पी. एण्ड एस. बैंक राजभाषा अंकुर के साथ संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति के माननीय सदस्यगण तथा बैंक के अधिकारी।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा दिनांक 15/06/2015 को मनाली में राजभाषा संबंधी निरीक्षण जिसमें हमारे बैंक ने समन्वयक की भूमिका निभायी।

समिति के संयोजक श्री हुक्मदेव नारायण यादव तथा सदस्य श्री शादीलाल बत्रा का स्वागत करते हुए बैंक के महाप्रबंधक श्री दीन दयाल शर्मा।

बैंक द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए माननीय संसद सदस्य। चित्र में उप महाप्रबंधक श्री रमिंदरजीत सिंह, मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) श्री राजिंदर सिंह बेवली, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) श्रीमती इन्दरपाल कौर तथा मनाली शाखा के प्रबंधक श्री दीपक वजीफदार भी दिखाई दे रहे हैं।

महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश बैंक अधिकारियों को सौंपते हुए समिति के संयोजक श्री हुक्मदेव नारायण।

निरीक्षण के दौरान संसद-सदस्य व समिति के संयोजक श्री हुक्मदेव नारायण यादव, संसद सदस्य श्री शादीलाल बत्रा, समिति सचिव श्री सूरज भान तथा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री प्रदीप कुमार शर्मा।

निरीक्षण के दौरान दाएं से बाएं श्री राजिंदर सिंह बेवली-मुख्य प्रबंधक (राजभाषा), श्री दीन दयाल शर्मा-महाप्रबंधक, श्री दीपक वजीफदार-शाखा प्रबंधक (मनाली), श्री रमिंदरजीत सिंह-उप महाप्रबंधक, सुश्री मधु रानी-राजभाषा अधिकारी, डॉ. वेद प्रकाश दूबे-संयुक्त निदेशक (राजभाषा) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय तथा श्री दविंदर पाल सिंह-सहायक निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग।

एक संपूर्ण दृश्य।

डॉ. वेद प्रकाश दूबे

हरे भरे वृक्षों के होने से जीवन चहकेगा

(विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष)

बात उस समय की है जब आदमी अकेला था। आसमान उसकी छत थी, घास उसकी चादर थी और जमीन उसका बिस्तर। हवा छनकर उसकी नाक में जाती थी उसके फेफड़े शुद्ध हवा से भरकर चहक-चहक उठते थे। हवा, पानी, भूमि, आकाश, वनस्पति के बीच आदमी का अस्तित्व जिंदगी का एक नया पन्ना था। लेकिन आदमी इतना संकुचित और कुटिल हृदय नहीं था जितना आज है।

वो जानता था कि वनस्पतियों, पशुओं, पक्षियों और शुद्ध वायु उसके जीवन की यात्रा को और अधिक गतिमान बनाते हैं।

इसीलिए उसने वृक्षों को पूजना आरंभ किया, उसके देवी-देवताओं के साथ वन्य पशु-पक्षी गहरे रूपों में जुड़ गए।

वातावरण की शुद्धता और पवित्रता की एक पूरी की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। पूरी प्रणाली विकसित की गई थी। सामूहिक हवन, यज्ञ, आदि प्रदूषण खत्म करने और जीवन मात्र को विश्व मानवता से जोड़ने के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक माध्यम थे।

वनस्पतियों के रोपण तथा विकास के साथ-साथ वनौषधियों एवं पेड़-पौधों का संरक्षण बहुतायत किया गया और मनुष्य की जीवन प्रणाली में वनस्पति, मौसम, कृषि, पशुओं तथा पर्यावरण का संबंध बेहद गहरा था।

क्योंकि पर्यावरण ही जीवन का मूल आधार था वह यह समझ गया था इसीलिए उसने पर्यावरण संरक्षण पर सर्वाधिक बल दिया।

नदियों के किनारे ही राज्य बसे और नदियों को मां मानकर उनसे लोक जीवन, लोक संस्कृति के तत्त्व बेहद गहरे घुल मिल गए और हमारे खून और शिराओं में पर्यावरण के समस्त अंग घुल-मिल गये।

आप शायद नहीं जानते कि पर्यावरण से हमें कितना लाभ होता है।

आप यह क्यों नहीं महसूस करते कि वृक्ष हैं, तो जीवन है। अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो धरती ही सूनी हो जाएगी।

हमारा पर्यावरण हमारे आसपास उगने वाले वृक्षों, हमारे इर्द-गिर्द बहने वाली हवा, हमारी बहती नदियों, आसमान में उड़ते परिंदों और कुलांचे भरते वन्य पशुओं से मिलकर बनता है। आदमी 'आदमी' बना रहे इसके लिए इन सबका अस्तित्व भी बेहद जरूरी है और इन सबके होने से हमें बहुत फायदे हैं।

- जरा सोचो, शुद्ध हवा न हो तो क्या होगा?
- क्या जी सकोगे तुम अगर तुम्हारी सांसों में जहरीला धुआं जाए?
- अगर पीने का पानी कीटाणुओं से भरा हो?
- अगर आसपास की जमीन बंजर हो हरी-भरी न हो?

शुद्ध हवा न होने से जीवन का अस्तित्व ही संदिग्ध है। शुद्ध हवा और वातावरण जहरीली गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, दुर्गन्ध तथा नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं को प्राणियों एवं इंसान से दूर करके उन्हें जीवन जीने का वातावरण देती है।

शुद्ध वायु ही प्राण वायु है। पर्यावरण की सबसे बड़ी शर्त है शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और इसे बनाए रखने में हमारे जंगल हमारी निःस्वार्थ सहायता करते हैं।

पीपल का एक वृक्ष ही कई सौ लोगों के लिए ऑक्सीजन देता है। इसलिए पीपल का वृक्ष जगह-जगह लगा मिलता है। जो ईश्वर की मनुष्य को बहुत बड़ी देन है। और यह देन कारखानों, फैक्टरियों में नहीं बनाई जा सकती है।

वायु की शुद्धता में पीपल, बरगद की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है।

इसलिए इन वृक्षों को आदमी पूजता है और पूजा वाजिब भी है। आम, इमली, कीकर, नीम, शहतूत, महुआ के वृक्ष भी आदमी को पशु-पक्षियों व कीट-पतंगों को फल, जीवन, छाया और आश्रय देते हैं। यह एक ऐसे प्राकृतिक चक्र में बंधे हैं, जो प्रकृति और जीवन का चक्र है। जरा कल्पना कीजिए नीम का वृक्ष आपके कान में आकर कुछ कह रहा है। नीम और

मौसम का यह संवाद अत्यन्त प्रेरक है -

नीम - अरे भई, मौसम मैं कुछ कहना चाहता हूं।

मौसम - अरे भाई कुछ बताओगे भी या बोलते ही रहोगे।

नीम पूरी वृक्ष जाति में जंगलों में यूं तो प्रत्येक पौधा, पेड़ कीमती लाभदायक और बहुमूल्य है परंतु नीम के फायदे सबसे अलग हैं क्योंकि नीम सब जगह सुलभ है और सरलता से लगता और मिलता है।

"एक बार विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर एक्राइड ने महात्मा गांधी को लिखा था कि -

"नीम-पत्तों में प्रोटीन, कैल्सियम, लौह और विटामिन 'डी' काफी मात्रा में हैं। नीम में गंध का तो भंडार भरा हुआ है, जो लाख दुःखों की एक दवा है।

यह सोचने का विषय है कि नीम का वृक्ष जड़ से लेकर ऊपर की फुनगी तक मनुष्य और समाज के लिए कितना लाभदायक है। नीम की छाल में, पत्तों में, रस में, फल, फूल, तने में एक-एक ऐसा गुण है जो इंसान की जिंदगी को निरोगता और तंदुरुस्ती प्रदान करता है। नीम वायुमंडल को स्वच्छ तो रखता है, फिर इंसान की नसों, नाड़ियों की गंदगी भी साफ रखता है तथा पर्यावरण को शुद्ध करता है। बदले में नीम वृक्ष कुछ मांगता भी नहीं है साथ ही पर्यावरण को शुद्ध करता है। ....यहीं नहीं ईरान के लोग, चीन, फारस, बगदाद, यूनान और अन्य देशों के जो भी लोग यहां आये वे भारतीय पर्यावरण की ओर प्रकृति की लाभप्रदता तथा वृक्षों के लाभों से परिचित होकर कृतज्ञ होकर यहां से गए तथा अपने देश में वृक्षों के लाभों के प्रचार-प्रसार करते रहे कि वृक्ष हमारे बंधु हैं, मित्र हैं, उनके बिना हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। कई ऐसे ही विदेशी विद्वानों का मत नीम के बारे में कितना प्रभावी है।

डॉक्टर कार्निस का कहना है कि - "मलेरिया में नीम-रस का काढ़ा सर्वोत्तम दवा है।"

डॉक्टर सूरज ने शराब पीने वालों को कहा है कि - "शराब ही पीनी है तो नीम की पीजिए।"

डॉक्टर बाटलीवाला ने तो चेचक के समय नीम के निरंतर प्रयोग पर बल दिया है। और डॉक्टर वाजिद का क्या कहना उन्होंने तो कहा कि 'नीम कुनैन की नानी है।' और तो और यूनानी चिकित्सा पद्धति ने भी नीम को आरोग्य प्राप्ति में सर्वाधिक सहायक माना है।

सौंदर्य प्राप्ति कौन नहीं पाना चाहता। ऐसे में डॉक्टर बुल्बुल का कथन है कि - 'सौंदर्य प्रसाधनों में नीम, केवल नीम का तेल गुणकारी है।' इंसान की जिंदगी में एक बहुत बड़ा अभिशाप है कोढ़ का। संसार के समस्त वृक्षों में, जंगलों में केवल किसी एक वृक्ष को अगर यह गौरव प्राप्त है कि वो इस बीमारी को, चर्म रोगों को दूर कर सके तो वह केवल नीम ही है, नीम ही है, नीम ही है, यह बात मैं इतना जोर देकर इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें इसके महत्व का पूरा अहसास दिल की गहराइयों तक हो सके। नीम की ताड़ी पीने वालों के तो सड़े-गले अंग भी ठीक हो जाते हैं इस संबंध में डॉक्टर शरीफ ने भी कहा है - "यह बात ठीक है कि चर्म रोगों पर नीम जादू का सा असर करती है।"

भारतीय चिकित्सा की महान परंपराओं में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और निघंटु संहिता में सभी ने नीम को कोढ़ नाशी शक्ति की प्रभावपूर्ण भूमिका का वर्णन किया है।

आज आवश्यकता है पेन्सिलिन की तरह नीम के ऐसे इंजेक्शन की जो रोगों को दूर करे और मनुष्यता को नया अर्थ दे।

संस्कृत में इसे 'महानिंब' कहा जाता है। इसलिए नीम के वृक्ष लगाना मनुष्य, पशुओं, कीट-पतंगों को वायुमंडल को नई जिजीविषा प्रदान करना होगा और इन्सान खुद हरा-भरा स्वस्थ वातावरण और पर्यावरण को नई शक्ति प्रदान कर सकेगा।

वन स्वयं में बड़ा डॉक्टर है। यह प्रकृति ने कितना बड़ा वरदान दिया है हमें। मैं अगर एक-एक वृक्ष की बातें और गुण बताने लग गया तो भई कई महीने बीत जाएंगे। मगर तुम प्रतीक रूप में समझो कि जंगल का एक ही वृक्ष जब इतना लाभकारी है, तो बाकी कितने लाभदायक होंगे। जाने कितनी जड़ी-बूटियां हैं वन के गर्भ में जिनका वर्णन आयुर्वेद में सुश्रुत, चरक, निघंटु संहिताओं में मिलता है।

इस ईश्वरीय देन को अपने झूठे अहंकार और स्वार्थी रुपयों-पैसों वाले भौतिकवादी दृष्टिकोण को छोड़कर वृक्षों को, पेड़-पौधों को अपनाओ तथा इंसान के साथ-साथ धरती को भी हरा-भरा बनाना है।

यूकेलिप्टस का वृक्ष भी वातनाशक और दर्द निवारक तेल बनाने में काफी सहायता करता है। इसका तेल तो सर्दी, जुकाम, बंद नाक और सिर दर्द को दूर भगाता है और त्वचा विकारों को भी दूर करता है। यह वृक्ष कागज बनाने के काम आता है तथा आदमी को धन एवं रुपया दिलवाता है।

इस प्रकार तुलसी, पीपल, आक, आंवला, नींबू, प्याज, लहसुन, गाजर,

अदरक, महुआ, अरंडी, जामुन, जैतुन, बेल, बांस, शहतूत आदि सभी पेड़-पौधे तुम्हारे लिए इस धरती पर हैं, जो मनुष्य को लाभ पहुंचाते हैं।

ये तुम्हें जीने की शक्ति देते हैं।

तुम्हारी चेतना को जगाते हैं।

तुम्हारी उम्र बढ़ाते हैं।

तुम्हारी संघर्ष शक्ति बढ़ाते हैं।

आयुर्विज्ञान ने तो तुलसी, पीपल, आक, बेल, नींबू और आंवला वृक्षों को मृत्युंजय कहा है। यह वृक्ष ही मनुष्य जाति तथा समस्त प्राणियों के लिए मृत्युंजय है तथा इनकी पूजा का विधान इनकी महत्ता को दर्शाता है।

भगवान धन्वंतरि ने समूचे संसार को यह विद्या दी जो वनों और पर्यावरण की देन है, जिसे आज का आदमी भूलता जा रहा है। भारतीय जनसंपदा के गुण, रहस्य और जीवन तत्त्व ईश्वर की ही अद्भुत देन है। जड़ी-बूटियां, दवाईयां वनस्पतियां हमारी माँ है, जीवनदायिनी देवियाँ हैं, जो वनों में रहती हैं, अगर वन नहीं रहेंगे तो भला ये भी कहाँ रहेंगी। जब ये नहीं होंगी तो फिर तुम भी कंक्रीट और पत्थरों की दुनिया में ज्यादा दिन तक नहीं जी पाओगे। इन्हीं पत्थरों से सिर तोड़ लोगे या कहीं किसी एक पीपल की छांव पाने को तरस जाओगे। तो भई ऐसा कुछ करो कि ऐसा मनहूस दिन तुम्हारे जीवन में न आने पाए। समझो कि वनों में लगे हुए वृक्षों के लाभ क्या हैं?

वन-भूमि के फालतू कटाव को रोकते हैं। वन वर्षा कराने में सबसे बड़े सहायक होते हैं। आज भू-क्षरण और भू-स्खलन इसीलिए हो रहा है क्योंकि वनों का प्रतिशत काफी तेजी से कम हो रहा है।

तुम यह क्यों भूलते हो कि वनों के अधिक होने से जहाँ आर्थिक लाभ होता है, वहीं वन्य पशुओं-पक्षियों के कारण उनकी विविधता के कारण पर्यटन भी बढ़ता है और विदेशी मुद्रा मिलती है।

नदियाँ हमें क्या नहीं देती भला।

कोरिया की 'हन' नदी उनकी माँ है, जिसे वे गंगा की तरह पूजते हैं। टेम्स का इंग्लैंड के इतिहास में कितना गहरा स्थान है।

इसी प्रकार पूरी-की-पूरी सभ्यताओं और संस्कृतियों के विकास में नदियों का योगदान बहुत है, जिसके गवाह इतिहास के पन्ने हैं।

परती भूमि हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अभिशाप है। वन, नदियां इसे दूर करते हैं। बाढ़ जो प्राकृतिक विपत्ति बनकर हमारे जीवन पर टूट पड़ती है, जंगल उसे न केवल रोकता है बल्कि बाढ़ के वहशीपन और विध्वंसक आवेग को समाप्त कर देता है। वनों का अस्तित्व सूखे के विनाशकारी तथा मनहूस अस्तित्व को आना तो दूर-पास फटकने तक नहीं देता। मगर आज वनों के अंधाधुंध कटावों ने बाढ़, सूखे, परती भूमि जैसी व्याधियों व प्राकृतिक विपदाओं को निमंत्रित किया है, लेकिन अब भी आदमी अगर संभल जाए और शेष भूमि का वनीकरण करे तो भी त्रस्त मनुष्यता को बचाया जा सकता है।

ऐसे में वन हमारी प्रदूषित मानसिकता को बचाने में तथा शांति प्रदान करने में महत्वपूर्ण साथी सहायक होंगे। इन साथियों का साथ कैसे लिया जाए यह आप सबको सोचना है। तो आपने देखा, जंगल, डॉक्टर भी है, धन देने वाला दाता भी है, वायुमंडल को शुद्ध करने वाला मसीहा भी है तथा भूमि, जल को नया रास्ता दिखाने वाला बंधु भी है। इतना बड़ा लाभदायक अस्तित्व शायद ही समूचे संसार में कहीं मिलेगा? जो केवल परोपकार के लिए जीता है। वह कुछ देता ही है, चाहे उसके साथ दुर्व्यवहार हो या बदसलूकी, वह दाता ही है।

पर्यावरण की रक्षा में वनों की सार्थक भूमिका को लेकर 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के चमोली जनपद के रेनी गाँव की महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर वृक्षों को काटे जाने से बचाया था। बाद में यही आंदोलन 'चिपको आंदोलन' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब वृक्ष अगर लाभदायक न होते तो भला चिपको आंदोलन क्यों होता। इसलिए यह बात साफ जाहिर है, कि इंसान की जिंदगी में पेड़-पौधों, वनस्पतियों का योगदान बेहद आवश्यक है, जिसकी शब्दों में विवेचना नहीं की जा सकती है। यह केवल महसूस करने की बात है, जो आज हर उस इंसान को महसूस करनी चाहिए जो स्वयं को सभ्य व शिक्षित कहता है।

हमें याद रखना होगा कि-हमारे भीतर भी एक जंगल है हरहराता हुआ। दूर-तलक फैली हरी घास और उड़ते परिंदे लगता है जैसे आसमान बांहों में उतर आया है। मेरे दोस्त इस धरती का हर वृक्ष पेड़ पौधा हमारा बंधु है नदियाँ, वनस्पतियां हमारी सहोदरा हैं... पर्यावरण हमारी पुकार तब तक सुनेगा जब तक हम वृक्षों की पुकार सुनेंगे-और यह सत्य है कि वृक्ष ही हमारा जीवन है हमारी गति है आओ हम भी बन जाएं वृक्ष हरे-भरे परोपकारी!!

- संयुक्त निदेशक (राजभाषा),
वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय

स्थानीय प्रधान कार्यालय में
आंचलिक प्रबंधक सम्मेलन

स्थानीय प्रधान कार्यालय में आंचलिक प्रबंधक सम्मेलन में सहभागियों को संबोधित करते माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक महोदय श्री जतिन्दरबीर सिंह। उनके दाएं मंचासीन है श्री मुकेश कुमार जैन, कार्यकारी निदेशक तथा बाएं है श्री इकबाल सिंह भाटिया, मुख्य महाप्रबंधक।

माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय श्री जतिन्दरबीर सिंह, सहभागियों से मंत्रणा करते हुए।

जी. एस. सचदेवा

आचार नीति - मूल्य एवं सुरक्षात्मक सतर्कता

हमारे समाज में नीति तथा नैतिक मूल्यों का निरंतर रुपांतरण हो रहा है। यह परिवर्तन स्वतंत्रता प्राप्ति के 68 वर्षों के पश्चात् और भी अधिक मुखर हो गया है और इस सबके लिए उत्तरदायी है हमारा उपभोक्ता समाज। समाज का पोषण करने वाले नैतिक मूल्यों में परिवर्तन के साथ गिरावट भी आई है। भौतिकवादी प्रवृत्ति, बढ़ती हुई लालसा, धन के लिए लालच तथा प्राधिकार, इन सबने मिलकर धोखाधड़ी, गबन, घोटाले, अनाचार तथा अधिकार के दुरूपयोग को बढ़ावा दिया है। भ्रष्टाचार ने सभी दिशाओं से न केवल तंत्र को प्रभावित किया है, अपितु व्यवस्था की जड़ तक अपनी पैठ बना ली है। सशस्त्र सैन्य दल, न्यायपालिका, चिकित्सा क्षेत्र तथा शिक्षण संस्थान, जो एक समय में श्रेष्ठ तथा पवित्र व्यवसायों में गिने जाते थे, आज भ्रष्टाचार के गढ़ बन गए हैं। आज के समय में यदि कभी इनसे सामना हो जाए तो निबटना दुश्कर हो जाता है।

संप्रेषण, संचारण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अद्‌भुत उन्नति के कारण संस्कृति का वैश्वीकरण हो रहा है। विशेषतः सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, प्रगति के कारण सही मायने में भौगोलिक दूरियाँ कम होती जा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप विश्व के विभिन्न देशों की संस्कृतियाँ आपस में घुल-मिल गई हैं। पूर्व तथा पश्चिम की सभ्यता में अंतर धीरे-धीरे लुप्त होता जा रहा है। सामान्यतः विश्व के सभी देश लगभग एक जैसी ही मुश्किल से गुजर रहे हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो स्थिति लगभग एक समान ही है, अंतर है तो केवल आकार और डिग्री का, कहीं थोड़ा कम तो कहीं थोड़ा ज्यादा। भ्रष्टाचार की समस्या से आज संपूर्ण विश्व ग्रस्त है। कहना गलत नहीं होगा कि भ्रष्टाचार का दानव धीरे-धीरे मानवता को निगल रहा है।

समाज में आए इस परिवर्तन को फिर से पलटना अवश्य संभावी है। आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि जिस प्रकार उन्नत देशों ने प्रगति करने के साथ अपने नैतिक मूल्यों, पुरातन संस्कारों तथा स्वाभाविक प्रवृत्ति को बनाए रखा है, उसी प्रकार हमें भी करना होगा। भ्रष्ट होना तो गलत है ही, किंतु उससे भी ज्यादा गलत है भ्रष्ट होने पर गर्व महसूस करना और भ्रष्टता को आधार बनाकर सफल होना और समाज में आदर भी प्राप्त करना। आज वर्तमान पीढ़ी की समाज के प्रति यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह समाज के पुरातन नैतिक मूल्यों को सहेजे अपनी सभ्यता और संस्कृति को अपनाए, नहीं तो इतिहास नैतिक मूल्यों में गिरावट तथा वर्तमान पीढ़ी को दिए जाने वाले भ्रष्ट वातावरण के लिए उसे कभी क्षमा नहीं करेगा।

सुरक्षात्मक सतर्कता

सतर्कता का प्राथमिक सिद्धांत है कार्य क्षेत्र में सत्यनिष्ठा। इसका अर्थ है कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य का पूर्ण ईमानदारी एवं सच्चाई से निर्वहन करना तथा उस पर सतर्क दृष्टि रखना। प्रत्येक कर्मचारी से यह अपेक्षा रखी जाती है कि वह अपनी संस्था के हितों को ध्यान में रख कर पूरी ईमानदारी से न केवल स्वयं कार्य करे अपितु अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को पूर्ण सत्यनिष्ठा से कार्य करने के लिए प्रेरित करे।

आज सुरक्षात्मक सतर्कता एक विचार के रूप में उभर कर आया है जिसके द्वारा संवेदनशील एवं भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त क्षेत्रों में धोखा-धड़ी तथा अपराधों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि उपचार से परहेज अच्छा या यूँ कहिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी।

इन सबके बावजूद हम देख रहे हैं कि धोखाधड़ी एवं घोटालों में लगातार वृद्धि हो रही है। मनुष्य ने नए से नए प्रगतिशील तरीकों का प्रयोग कर, सिर्फ अपने धन के लालच की संतुष्टि के लिए, प्रणाली का उपहास किया है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रतिरोधी कार्य युद्धस्तर पर किए जाते रहे हैं। हमेशा एक जैसी लड़ाई शुरू होती है जो भ्रष्टाचार के विपरीत हो। किंतु समाज उन स्थानों तथा उन पदों को अधिक महत्व तथा सम्मान देता है जहाँ से अपने स्वार्थ के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया जा सके। समाज के बदले हुए और बदलते हुए नैतिक मूल्यों में सतर्कता निवारण का कार्य बहुत सार्थक और महत्वपूर्ण हो गया है। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा जैसे शब्दों की

"परिभाषा" और "अर्थ" में भी बदलाव हुआ है। कोई अपराध जिसे 60 वर्ष पूर्व बेइमानी समझा जाता था, आज वह नित्यकर्म बन गया है। नैतिक मूल्यों के बदल जाने से हमारे समाज ने भ्रष्टाचार के कुछ विधानों को साधारणतः नित्यकर्म के रूप में ग्रहण कर लिया है। नैतिक मूल्यों का क्षय कुछ इस प्रकार हो रहा है कि देश के शीर्ष जमीनी अदालत-सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने एक निर्णय द्वारा एक ऐसे कर्मचारी की रक्षा की, जिसने 10 रुपये मूल्य की वस्तु चुराई थी।

नैतिक मूल्य एवं लोकाचार

यह एक शाश्वत सत्य है कि आज समाज में अपनायी जाने वाली कार्य-प्रणाली वांछित परिणाम देने में सक्षम नहीं है। सतर्कता मशीनरी की उपस्थिति, अलग विभाग का समायोजन, सी.वी.सी. की स्थापना, भ्रष्टाचार निरोधक मशीनरी, इन सबके बावजूद विषय संबंधी कानून कुछ अलग ही प्रभाव डालते हैं। लोगों ने ऐसे तरीके और उपाय विकसित कर लिए हैं, जिनसे पद्धति को बाई-पास करने में सुविधा रहे। भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और एक समानांतर प्रणाली के रूप में निरंतर विकसित हो रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए अन्य तरीकों और साधनों को खोजना अब अनिवार्य हो गया है।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है - **सतर्कता क्यों?** क्यों नहीं, हमारे पास एक ऐसी प्रणाली हो जहाँ हम सतर्कता अधिकारी बने। बजाय बाह्य सतर्कता के, आवश्यकता है कि हम स्वयं पर नियंत्रण का विकास करें। स्वयं पर संयम रखने से बेहतर कोई और प्रणाली हो ही नहीं सकती।

समय आ गया है जब भ्रष्टाचार की समस्या से निवारण के लिए हमें अपने लोकाचार, संस्कृति, नैतिक मूल्यों और समृद्ध विरासत को पुनः लाना होगा। भारतीय नीतिशास्त्र, वेद, उपनिषद एवं अन्य धार्मिक, दार्शनिक पुस्तकों के निरंतर अभ्यास के द्वारा, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, समाज में परिवर्तन लाने तथा भारतीय लोकाचार में पुनः नैतिक मूल्यों की स्थापना में सक्षम है। पाश्चात्य संस्कृति वाद-विवाद तथा विचार-विमर्श पर आधारित है जबकि भारतीय संस्कृति स्थायी सार्वभौमिक मूल्यों में विश्वास करती है जो प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक स्थान तथा प्रत्येक समय में स्थिर रहते हैं। यद्यपि भारतीय लोकाचार तथा मूल्य प्रणाली में परिवर्तन न होने से, इसकी आलोचना की जाती रही है, तथापि तेजी से बदलती पश्चिमी सभ्यता ने नैतिक मूल्यों के समक्ष अपनी सीमाएं दर्शाई हैं। वाद-विवाद एवं परिचर्चाएं ज्यादा से ज्यादा विचारों को प्रज्ज्वलित कर सकती हैं लेकिन आंतरिक मूल्य प्रणाली में बदलाव नहीं ला सकती। भारतीय नीतिशास्त्री अपने चारों तरफ बदलाव लाने की अपेक्षा अपने अंदर बदलाव लाने में विश्वास करते हैं। सिद्धांत भी यह कहता है कि यदि हम स्वयं को बदलते हैं तो पूरी प्रणाली अपने आप ही बदल जाती है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार, **निष्काम कर्म व्यक्ति को अपना कार्य बिना फल की इच्छा के करने की प्रेरणा देता है।** यह सिद्धांत अधिकार की तुलना में कर्म के दायित्व के प्रति सचेत करता है। यह मनुष्य को निजी स्वार्थ के लिए घृणित कार्य करने से रोकता है।

हमारे उपनिषद एवं वेद मानव व्यवहार के सभी पहलुओं को दर्शाते हैं। ये विस्तृत रूप से आंतरिक सच्चाइयों, नैतिक कार्यों और सुचारू कार्य-प्रणाली को दर्शाते हैं। हमारा हिंदू धर्म और अन्य प्रमुख भारतीय धर्म जैसे सिख धर्म, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म मुख्य रूप से बलिदान के सिद्धांत पर आधारित है जिसका अर्थ है, दूसरों का उत्थान करते हुए अपनी उन्नति करना, तथा जो भी देना, बिना स्वार्थ के देना।

भारतीय न्यायिक प्रणाली, जिसमें बहुत से कानून तथा विधाएं हैं जिनसे कानून लागू करने वाली एजेन्सियों को शक्ति प्राप्त होनी चाहिए किंतु इसके विपरीत हमारी न्यायिक प्रणाली दोषियों को बचाने के ज्यादा रास्ते प्रदान कर रही है। दंड संबंधी कानून तो किसी भी प्रकार का डर अथवा कठोर प्रभाव तक उत्पन्न करने में असमर्थ है। भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं पर अनुशासन, तथा आवश्यकता है कि हम अपने नीतिशास्त्रों, नैतिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक विरासत में पुनः विश्वास जगाएं, यही शाश्वत सत्य है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में पश्चिमी तौर-तरीकों को अपनाया जा रहा है जिससे हमारी नई पीढ़ी परंपरागत मूल्यों के फल से वंचित हो रही है। इसलिए अन्य बाह्य नियंत्रण के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि हम अपनी नई पीढ़ी को पुरातन नीतिशास्त्र, नैतिक मूल्यों एवं संस्कृति के बारे में शिक्षित करके और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करते हुए पुनः अपने समाज में जीवन मूल्यों को गठित करें। अन्ततः यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें किसी बाहरी सतर्कता उपकरणों की आवश्यकता नहीं बल्कि आंतरिक रूपांतरण की ही आवश्यकता है।

- सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबंधक

हिंदी सीखे बिना भारतीयों के दिलों तक नहीं पहुंचा जा सकता। – लोठार लुत्से

सामाजिक सुरक्षा कवच : एक अनूठी पहल

हरविंदर सिंह

> इस वर्ष के वित्तीय बजट में भारत सरकार ने ऐसी तीन नई योजनाओं की घोषणा की है जिनका सीधा संबंध भारतवासियों के जीवन को सुरक्षित करने और उनकी आर्थिक स्थिति को बल देने से है। एक ऐसा देश जहाँ की अड़तीस प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती हो, ये एक अद्‌भुत और साहसिक कार्य है।

विश्व के पश्चिमी देशों, विशेषकर विकसित राष्ट्रों ने अपने नागरिकों को किसी न किसी रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान की हुई है। जो धनी देश हैं उनमें प्रायः जनसंख्या कम होती है और जनसंख्या कमी के कारण ही यह संभव भी हो सका है और सुचारू रूप से चल भी रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी विकासशील देश में इस तरह की व्यवस्था की कल्पना मात्र ही की जा सकती थी, क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या ही ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है। फिर भी इस वर्ष के वित्तीय बजट में भारत सरकार ने ऐसी तीन नई योजनाओं की घोषणा की है, जिनका सीधा संबंध भारतवासियों के जीवन को सुरक्षित करने और उनकी अर्थव्यवस्था को बल देने से है। एक ऐसा देश, जहाँ की अड़तीस प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती हो, ये एक अद्‌भुत और साहसिक कार्य है। मेरी समझ में भारत एकमात्र ऐसा विकासशील देश होगा जहाँ इस तरह की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था नागरिकों को सार्वजनिक स्रोत द्वारा प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है।

सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं में दो योजनाओं - **'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना'** और **'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना'** का सीधा संबंध जीवन सुरक्षा से है और तीसरी योजना **'अटल पेंशन योजना'** है जो साठ वर्ष की आयु के पश्चात नागरिक को आर्थिक मदद पहुँचाने का काम करती है। अब यदि बीमा योजनाओं का आंकलन करें तो प्रथम योजनाओं में समग्र रूप से बीमित व्यक्ति को मात्र 342/- रुपए का प्रीमियम जमा करना होगा। यानि कि प्रतिदिन एक रुपए से भी कम और उस व्यक्ति का जीवन दो लाख रुपए से सुरक्षित हो जाएगा। अर्थात् मृत्यु के उपरांत उस व्यक्ति के परिवार को **'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना'** के तहत दो लाख रुपए और यदि दुर्भाग्यवश दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर परिवार को दो लाख रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी, अर्थात कुल चार लाख रुपए दूसरी योजना **'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना'** में तो अपंग हो जाने पर भी एक अथवा दो लाख रुपए देय हैं। ज़रा सोचिए। मात्र एक रुपए से भी कम प्रतिदिन की सहयोग राशि से इतनी सुरक्षा मिलना कहाँ संभव है? इसी तरह तीसरी यानि **'अटल पेंशन योजना'** भारत की उस अस्सी प्रतिशत जनसंख्या को लक्ष्य करती है जो असंगठित है। यह योजना उस वर्ग को अशक्त होने पर आर्थिक मदद या पेंशन पहुँचाने का वादा करती है। इसमें नागरिक को प्रोत्साहन देने के लिए पाँच वर्ष तक सरकार भी अपनी ओर से उतनी ही राशि डालेगी जितना कि लाभार्थी।

इन योजनाओं को बैंकों व बीमा कंपनियों द्वारा ही किया जाना संभव था। प्रधानमंत्री की जन-धन योजना में जिस लगन और निष्ठा से बैंक कार्मिकों ने सतत् और अथक कार्य किया और भारत के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले कोटि-कोटि लोगों को लाभ पहुँचाया, उसकी मिसाल सरकार के सामने आ ही चुकी थी। इन योजनाओं के लिए भी मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही आगे हुए हैं, और कुछ ही समय में दस करोड़ से भी अधिक लोगों को यह कवच प्रदान कर चुके हैं। बीमा का कार्य भी मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी ही कर रही है।

हिंदी केवल राजभाषा नहीं बल्कि विश्व भाषा बन रही है। – राजीव गांधी

जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, ये योजनाएं अद्‌भुत हैं, साहसिक है और सरकार की अनूठी पहल हैं। सरकार इनका लाभ जन-जन तक पहुँचाने के लिए अनेक प्रकार के प्रचार-प्रसार माध्यमों का और साधनों का प्रयोग कर रही है और आयोजन भी कर रही है।

सरकार की इस पहल को ध्यान में रखते हुए हम सब बैंक कार्मिकों का दायित्व है कि इन सुरक्षा योजनाओं का लाभ अपने ग्राहकों तक पहुँचाने का कार्य करें। जैसे कि ग्राहक के शाखा में आने पर, अन्य कहीं भेंट हो जाने पर, कैंपों के माध्यम से या फिर टाउन-हाल बैठके के माध्यम से हम अपने ग्राहकों को इससे अवगत करा सकते हैं और अपने ग्राहकों तक इन योजनाओं का लाभ पहुँचा सकते हैं। इन प्रक्रियाओं में हम नए ग्राहकों को भी अपने से जोड़ सकते हैं। इस दिशा में जब दूसरे बैंक इन योजनाओं की सफलता के लिए अग्रसर हैं, हम कहीं पीछे न रह जाएं। मेरी समस्त शाखा कर्मियों से अपील है कि इन योजनाओं की सफलता के लिए इन पंक्तियों पर अमल करें :

''चलो चलें.... चलते चलें

गर्व हो स्वयं पर......

जब हम सबसे आगे चलें।''

एक प्रश्न या शंका हमारे लक्ष्य - वर्ग की ओर से आ सकती है, जिसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा और वो है, योजना की विश्वसनीयता की। तो यहाँ यह जान लेना आवश्यक होगा कि प्रशासन, बीमा कंपनी और बैंक जितना लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए उत्साहित हैं, उत्सुक हैं - उतना ही उन्हें प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने के प्रति भी जागरूक हैं।

यह सही है कि किसी व्यक्ति की जीवनहानि की क्षतिपूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन एक संवेदना, एक आर्थिक सहयोग के रूप में प्रदत्त होने वाली राशि जख्म पर मरहम का काम तो कर ही सकती है। अतः जिस दृष्टि से भी सोच विचार किया जाए दावा प्रकरण का तुरंत निपटारा कर, बीमा राशि लाभार्थी तक पहुँचाना भी हमारा कर्तव्य है।

अभी हाल ही में लुधियाना जिले में जोधा शाखा का दावा निपटान, केवल 3 दिनों में करना ग्राहक के प्रति हमारे दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इस प्रकार ग्राहक का विश्वास हम पर बढ़ाता है।

कुल मिलाकर उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि :

1. सभी कार्मिकों को सभी योजनाओं का पूर्णज्ञान हो, ग्राहक की सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए वह पूरी तरह सक्षम हो।
2. इन योजनाओं की जानकारी हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं, जिसमें उसे उसका लाभ मिलने की पात्रता हो, और उसे बैंक से जोड़े।
3. इन योजनाओं का विज्ञापन करें और इस संबंध में स्थानीय प्रशासन और अन्य एजेंसियों द्वारा किए जा रहे आयोजन में भाग लें।
4. दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति में, दावा प्रकरण का तत्परता से निपटारा करें और लाभ पहुँचने तक उस संबंध में जाँच पड़ताल करते रहें। इसके लिए आवश्यक है कि आपको इसकी पूर्ण जानकारी हो और दावा प्रकरण संबंधी कागज़ातों की आप सूक्ष्म जाँच करें ताकि प्रकरण निपटान में विलंब न हो।

अन्त में, मैं कहना चाहूँगा कि मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार और प्रधानमंत्री जी की मंशा, ध्येय और भावना **''सबकी सुरक्षा - सबका हित''** के रूप में सामने आई है, और जिस मुस्तैदी से संपूर्ण तंत्र अपनी समग्र शक्ति के साथ जुटा हुआ है, हम बैंक स्टाफ सदस्यों का ध्येय होना चाहिए - **''सबके हित - सब तक पहुँचे''** इसे हमारे द्वारा एक युद्ध यज्ञ अथवा समाज के प्रति हमारा सम्पूर्ण, सहयोग आदि किसी भी रूप में लेना ही **''बहुजन हिताय बहुजन सुखाय''** की कल्पना को चरितार्थ करना होगा।

- महाप्रबंधक,
(प्रधान कार्यालय, सरकारी व्यवसाय विभाग)

देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। — राहुल सांस्कृत्यायन

दावा भुगतान में बैंक की तत्परता

लुधियाना जिले के जोधां शाखा का हमारे बैंक का ग्राहक सरदार त्रिलोचन सिंह अपने गाँव में बढ़ई का कार्य करता था। आर्थिक स्थिति का अनुमान आप लगा ही सकते हैं। दुर्भाग्य से एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सौभाग्य से एक माह पूर्व ही उसने 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' के अंतर्गत अपना बीमा करवाया था। अतः उसकी पत्नी ने बैंक की मदद से अपना दावा प्रकरण दाखिल किया। बैंक कार्मिकों ने तुरन्त कार्रवाई करते हुए, यह प्रकरण प्रधान कार्यालय को भेज दिया और उसी दिन यह प्रकरण न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को ई-मेल द्वारा भेज दिया गया। उधर शाखा ने सारे कागज़ात बड़ी ही तीव्रता से प्रधान कार्यालय को भेजे, जिन्हें उसी तीव्रता से एश्योरेंस कंपनी को भेजा गया। इस बीच एश्योरेंस कंपनी प्रकरण की जाँच और भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर चुकी थी। अतः भुगतान लाभार्थी तक पहुँचने में लगे मात्र दो घंटे। इस तरह वास्तविक रूप में इस प्रकरण से जुड़े कार्मिकों की तत्परता के कारण इस दावे का भुगतान तीन दिन के अंदर लाभार्थी तक पहुंच गया। बीमा कंपनी के उच्चाधिकारियों ने स्वयं हमारे प्रधान कार्यालय में आकर बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री मुकेश कुमार जैन को इस घटना का बीमा निपटान-पत्र सम्मानपूर्वक भेंट किया।

उधर, जब दावा सेटलमेंट बैंक के आँचलिक प्रबंधक व अन्य कार्मिकों ने मृतक की पत्नी श्रीमती रंजीत कौर को दिया गया तो उन्हीं की नहीं, समस्त गाँव वालों की आंखे नम थी। शायद उनमें कहीं दिवंगत त्रिलोचन सिंह के प्रति धन्यवाद था, या शायद, बैंक कार्मिकों की तत्परता के लिए या फिर शायद, प्रधानमंत्री जी की कल्पना और कार्यान्वयन के लिए कि उन्होंने ऐसी कल्याणकारी योजना का सूत्रपात किया जिससे आने वाले समय में श्रीमती रंजीत कौर की तरह अनेक लाभार्थी जीवन यापन कर सकेंगे।

हमारी संवेदनाओं का ऐसा मर्मस्पर्शी कार्यान्वयन ही हमारे अस्तित्व को सार्थक बनाता है।

प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत दावा भुगतान में बैंक की तत्परता की अनूठी मिसाल

बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री मुकेश कुमार जैन को बीमा निपटान पत्र सौंपते हुए, न्यू इंडिया कंपनी के अधिकारी। चित्र में मुख्य महाप्रबंधक श्री इकबाल सिंह भाटिया तथा महाप्रबंधक श्री दीन दयाल शर्मा भी दृश्यमान है।

प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत पीड़ित श्रीमती रंजीत कौर को आंचलिक प्रबंधक लुधियाना श्री वीरेन्द्रजीत सिंह विर्क दावा राशि का चेक देते हुए।

संसदीय राजभाषा समिति
की आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति द्वारा
विचार-विमर्श कार्यक्रम

बैंक के महाप्रबंधक (राजभाषा) श्री दीन दयाल शर्मा, संसद सदस्य श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी का अभिवादन करते हुए।

माननीय सांसद श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, श्री सत्यनारायण जटिया तथा सुश्री झरना दास, चित्र में सचिव श्री सूरज भान तथा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री प्रदीप कुमार शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं।

विभिन्न बैंकों के महाप्रबंधक, मध्य में अपने बैंक के महाप्रबंधक (राजभाषा) श्री दीन दयाल शर्मा

विभिन्न बैंकों के महाप्रबंधक तथा अन्य अधिकारीगण। निरीक्षण के समय महाप्रबंधक श्री दीन दयाल शर्मा (राजभाषा विभाग) व अन्य बैंक के उच्चाधिकारी।

रुद्र प्रसाद महान्ती
मुख्य प्रबंधक, भुवनेश्वर

मूल ओड़िया कहानी :

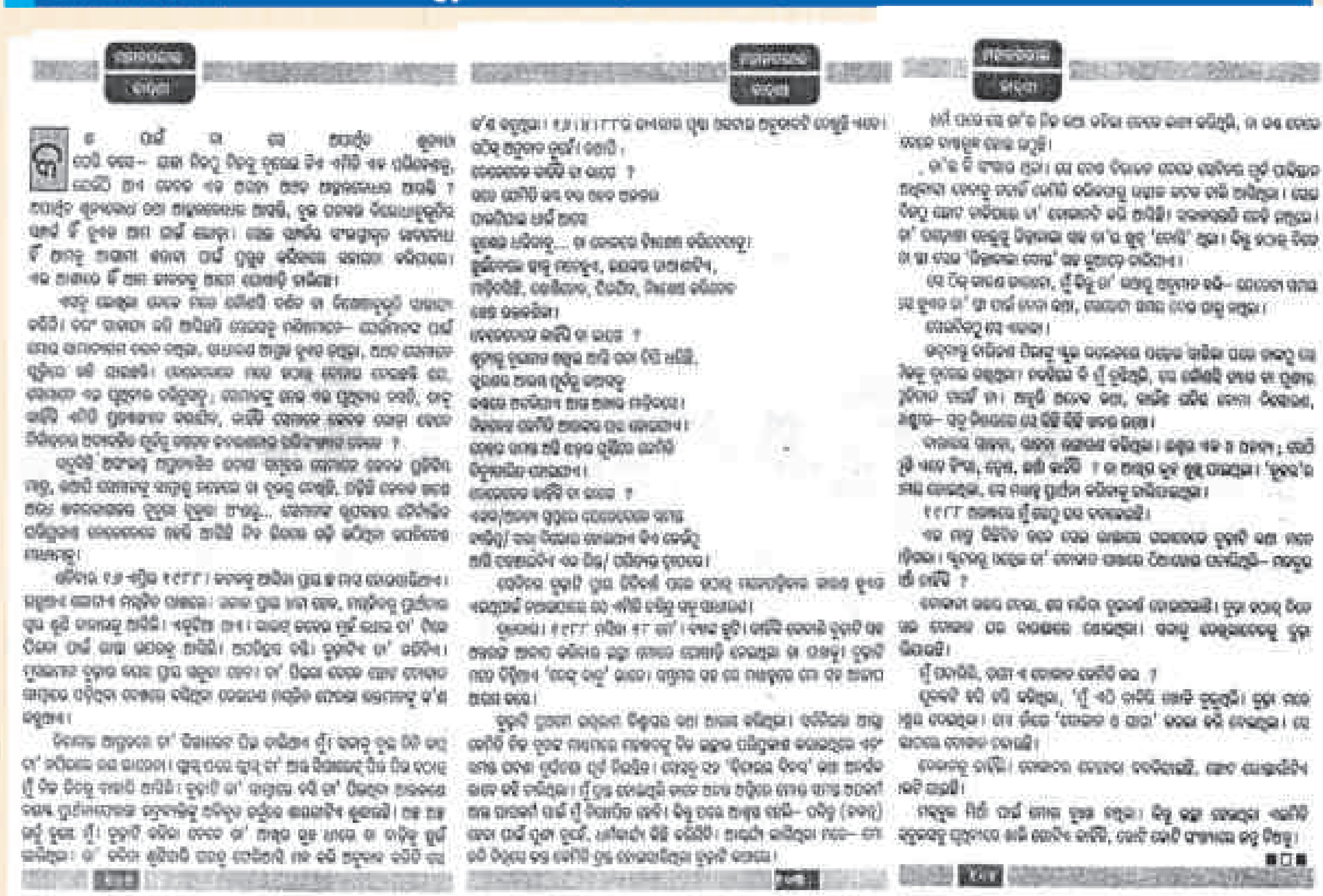

प्रदीप कुमार राय
मुख्य प्रबंधक, प्र.का. सतर्कता विभाग

हिंदी अनुवाद : एक अयाचित व्यक्तित्व

आखिर क्योंकर हम उन अपार्थिव शून्यता में घिर जाते हैं...... जो हमें खुद से ही कहीं दूर ले जाता है - एक ऐसे परिवेश में, जहाँ होता है सिर्फ एक असहाय अपितु आच्छन्नता की आसक्ति। अपार्थिव शून्यता व आच्छन्नता की आसक्ति... शायद इन दो परस्पर विरोधानुभूति के संयोगावस्था की ही आवश्यकता है हमारे जीवन में! इन्हीं संपर्कों की सम्मिलित भावानुभूति ही हमें, आने वाली सदी के लिए प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध होंगी। इसी आस में ही हम अपने जीवन को घसीटते चले आ रहे हैं।

यह सब लिखते हुए मुझे भी दर्शन या विशेषानुभूति प्रेरित नहीं करती। परन्तु प्रेरणा मिली उन लोगों से जिनके प्रति मेरी लेशमात्र भी परवाह नहीं थी, शायद इसकी इच्छा ही नहीं रही थी। परन्तु वे लोग मेरे स्मृति पटल पर सदा ही बने हुए हैं। उन्होंने समय-समय पर मुझे एहसास दिलाया है कि वे भी इसी धरा के ही चरित्र हैं.... उनको शामिल कर ही इस धरा की संपूर्णता होती है।

तो फिर उनकी उपेक्षा क्योंकि जाती है.....उनकी आवश्यकता चुनाव या जनगणना के समय तक ही क्यों सीमित होती है?

कुछ बिखरे हुए अप्रत्याशित घटनाक्रमों के वे सिर्फ प्रतिबिम्ब मात्र हैं...... मैंने उन्हें करीब से नहीं तो दूर से तो देखा ही है..... पढ़ा है एकाध समाचार पत्र के छपे अंशों में..... उनके अव्यक्त चरित्रों को मैंने अपने अन्दर उत्पन्न

जो राष्ट्र प्रेमी है उसे राष्ट्र भाषा प्रेमी होना ही चाहिए। — रंगराव दिवाकर

हुए उपनिवेश माध्यम में पाया है।

शनिवार, 16 अप्रैल 1988... कटक आये हुए मुझे करीब छः महीने हो चुके थे। एक मस्जिद के पास के मकान में रहता था। प्रातः करीब पाँच बजे होंगे.. .. मस्जिद से प्रार्थना के स्वर सुनकर कमरे से बाहर निकला। मैं अकेला ही था। कमरे की बत्ती जला छोड़, कुल्ला कर चाय पीने के लिए मैं कमरे से बाहर गली में आ गया। एक गन्दी और बदहाल बस्ती.....। बस्ती के बीचों-बीच मस्जिद के करीब एक झोपड़ी नुमा चाय की दुकान.... दुकान में चाय बनाते हुए एक बुजुर्ग.... उस बुजुर्ग मुसलमान की उम्र यही कोई सत्तर रही होगी। चाय पीते हुए मैंने देखा दुकान के सामने पड़े बेंच पर बैठे मस्जिद से वापस आए नमाजियों से उसे बातचीत करते हुए।

अनचाहे आग्रह से मैं चाय पी रहा था तथा दूसरे हाथ से सिगरेट का कश लगाये जा रहा था। यह मेरे रोज का क्रम था, अन्यथा मैं सुस्त महसूस करता था।

मैंने देखा उस बूढ़े दुकानदार को वहाँ बैठे नमाजियों से अविकृत उर्दू में शायरी सुनाते हुए। उर्दू की थोड़ी बहुत समझ मुझे भी थी। शायरी सुनाते हुए उस वृद्ध की आँखों से आँसू दाढ़ी तक लुढ़क कर पहुँच गए थे। मैं कमरे में गया और उस शायरी का ओड़िया अनुवाद अपने डायरी में लिख डाला। अक्षरशः अनुवाद तो नहीं फिर भी कुछ हद तक लिख डाला।

आज अचानक तीन साल बाद... पता नहीं क्यों.... वह बूढ़ा दुकानदार मुझे याद आ गया.......।

बुधवार, 18 मई 1988..... छुट्टी का दिन था। पता नहीं क्यों उस बूढ़े के साथ अंतरंग बातचीत करने की इच्छा जागृत हुई और मैं उसके पास खिंचा चला गया मुझे 'बैंक बाबू' के नाम से वह पहचानता था।

हम बातचीत में मशगुल हो गए। पहले तो इस्लाम पर चर्चा शुरू हुई। सर्व नियन्ता अल्लाह ने किस तरह अपने दूतों के जरिए मोहम्मद को अपनी इच्छा की जानकारी दी थी.... इत्यादि-इत्यादि से लेकर 'विचार दिवस' की बातें..... । मैं भयभीत था... अनन्त अग्नि में मेरे समस्त अपकर्म और पाप कर्मों के लिए मैं कहीं भस्म न हो जाऊँ। मैं आश्चर्यचकित हो गया, मेरे जैसा नास्तिक किस तरह त्रस्त हो चुका था बूढ़े की धर्म-कर्म की बातों से।

बातचीत का सिलसिला चलता रहा..... उसके अपने जीवन की बातों से। अपनी बात कहते हुए मैंने उसका कंठ अवरुद्ध होते पाया था।

उसका भी एक परिवार था। बंटवारे के समय वह तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान का नागरिक बने रहना नहीं चाहता था। इसलिए वह पहले कलकत्ता और फिर कलकत्ते से कटक आ कर अपने पत्नी के साथ यहीं बस गया। एक छोटी सी चाय की दुकान से अपना गुज़ारा चलाता। उसके कोई संतान नहीं थी। पड़ोसी तेलगू-भाषी रिक्शेवाले के साथ उसकी अच्छी मित्रता थी। परन्तु अचानक एक दिन उसकी पत्नी उस रिक्शेवाले पड़ोसी के साथ कहीं भाग गई।

उसने इसका कारण तो नहीं बताया। पर मुझे उससे बातचीत करते हुए ऐसा लगा जैसे वह अपनी पत्नी के लिए समय नहीं दे पाता था।

तब से वह अकेला है। चार बेघर बच्चों को स्कूल-कॉलेज की शिक्षा दिला कर उनसे अपने को दूर ही रखा था। उसके बिना बताये ही मैं समझ गया कि वह किसी त्याग, परोपकार या पुण्य कार्य के एवज में कुछ पाना नहीं चाहता है।

और भी बहुत सारी बातें हुई......कटक के बाँस गली के 'बम-विस्फोट' से लेकर कश्मीर के 'आतंकवाद' तक..... हर घटना का समाचार वह रखता था। ''अल्लाह.... अल्लाह.......'' उच्चारण करते हुए वह दोपहर की नमाज के लिए तैयार होने लगा। ईश्वर एक और अनन्य है.... फिर इतनी हिंसा, द्वेष और ईर्ष्या क्यों? उसकी आँखों के आँसू अब सूख चुके थे। नमाज के लिए वह चला गया था।

अगस्त 1988 में मैंने वहाँ से मकान बदल लिया था।

अभी कुछ ही दिन पहले वहाँ से गुज़रते हुए उस बूढ़े की याद आ गई। दुकान के सामने स्कूटर खड़ा कर मैंने पूछा था, ''मकबूल मियाँ नहीं है क्या?'' युवक दुकानदार ने कहा, उन्हें गुजरे दो साल हो गए..... एक रात दुकान के बरामदे में सोया था, सुबह होते ही वह दम तोड़ गया।

मैंने पूछा, ''तुम.....यहाँ कैसे आए?''

युवक ने मुस्कुराते हुए कहा था, ''मैं यहाँ काम की तलाश में भटकता फिर रहा था..'' कि एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर यह दुकान थमा दी। दुकान को मेरे नाम करवा दिया। उनके बाद मैं यह दुकान चला रहा हूँ।

दुकान की ओर मैंने निगाह डाली। दुकान का कायाकल्प हो चुका था। अब एक छोटे रेस्तराँ में तबदील हो चुकी थी।

मकबूल मियाँ के लिए मुझे कोई हमदर्दी नहीं थी। पर सोचता हूँ ऐसे मकबूल-सरीखे लोग संसार में सिर्फ एक ही क्यों होते हैं, करोड़ों की संख्या में क्यों नहीं पैदा होते?

साकेत सहाय

खुदरा ऋण - बैंकिंग विकास का नया मंत्र

बैंकिंग क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में काफी कुछ बदलाव आया है। इन बदलावों में, भारतीय अर्थव्यवस्था में नब्बे के आरंभिक दशक में हुए राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तनों का बहुत बड़ा योगदान है। भूमंडलीकरण, सरकार की खुली आर्थिक नीतियों से व्यक्ति की कल्पनाओं और जीवन स्तर को नया आयाम मिला। इसी दौर में उपभोक्तावाद ने एक नए अर्थ को गढ़ना प्रारंभ किया। भारत में निजी व विदेशी बैंक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे तथा सरकारी बैंकों ने भी इस बदलाव को अपनी प्रगति के लिए आवश्यक माना।

हम सभी इस प्रगति को आसानी से देख व समझ सकते हैं कि शहरीकरण, बाजारवाद और सबसे प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था ने भारतीय बैंकिंग को कितना बदला है। इस बदलाव ने खुदरा बैंकिंग की अवधारणा को बैंकों की प्राथमिकताओं में शामिल किया है। यह बैंकिंग प्रगति का एक महत्वपूर्ण आयाम माना जाने लगा है। खुदरा बैंकिंग, बैंकिंग व्यवसाय में विविधता लाया है। उदारीकरण ने खुदरा ऋण की महत्ता को उजागर किया है। जिससे बैंक अब खुदरा ऋण व्यापार पर काफी जोर दे रहे हैं। तमाम बैंकों में इसे अलग विभाग का भी रुप दे दिया गया है। इसके बावजूद, बैंक विकास के इस नए मंत्र को पूरी तरह अपनाने में सफल नहीं हो पाए हैं। ग्राहक भी खुदरा ऋण की व्यापकता से पूरी तरह परिचित नहीं हुए है। ऐसे में जरूरत है, बैंकों को एक नई रणनीति अपनाने की।

उपर्युक्त परिदृश्य से हम समझ सकते हैं कि भूमंडलीकरण, उन्नत तकनीक एवं बाजारोन्मुखता में भारी वृद्धि तथा वित्तीय नवाचार के कारण वित्तीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। जिससे हाल के वर्षों में व्यावसायिक बैंकिंग क्षेत्र में खुदरा ऋणों का चलन काफी बढ़ गया है। उपभोक्ता ऋण, आवास ऋण, क्रेडिट कार्ड तथा व्यक्तिगत ऋणों में तेजी से वृद्धि हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2001 में शहरी एवं महानगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत हाउसिंग, कंज्यूमर ड्युरेबल्स तथा व्यक्तिगत ऋणों (क्रेडिट कार्ड सहित) के अंतर्गत 87.1 लाख खाते थे जिनके तहत 42 हजार 700 करोड़ रु. थे, वर्ष 2006 में बढ़कर 255 लाख खाते तथा कुल 2 लाख 58 हजार करोड़ रु. हो गए थे।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे मुख्य उद्देश्य था बैंकिंग से वंचित आबादी को बैंकिंग के तहत लाना और इसी कारण राष्ट्रीयकरण के तुरंत बाद सभी बैंकों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र विभाग बना। जिसमें खुदरा ऋण भी शामिल था। ताकि ग्रामीण आबादी को उसकी आवश्यकतानुसार उसे मकान बनाने व आर्थिक उन्नति के लिए ऋण दिया जा सके। साथ ही, छोटे व्यवसायियों को वाहन ऋण भी दिया जा सके। उदारीकरण के बाद देश में विशाल मध्यवर्ग का उदय हुआ और इसके साथ खुदरा बैंकिंग का भी दायरा बढ़ा।

खुदरा ऋण क्या है?

भारत में खुदरा बैंकिंग कोई नई परिघटना नहीं है। यह हमेशा से भारत में विभिन्न रूपों में प्रचलित रहा है तथा पिछले कुछ वर्षों से यह बैंकों के लिए मुख्यधारा बैंकिंग का पर्याय बन गया है। आमतौर पर खुदरा बैंकिंग को व्यक्तियों तथा छोटे व्यवसायियों से निपटने के लिए ही योग्य माना जाता रहा है। लेकिन यह एक व्यापक अवधारणा है। यह व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ ही वाणिज्यिक बैंकों के बैलेंस शीट की देनदारियों एवं परिसंपत्तियों पक्षों के व्यवहार को भी दर्शाता है। इसमें बैंकों द्वारा प्रस्तुत उत्पादों में आवास, वाहन, व्यक्तिगत, शैक्षिक तथा एक निश्चित सीमा तक कृषि से जुड़े हुए ऋण शामिल हैं। इसकी बुनियादी विशेषताएं निम्नलिखित है :

- विभिन्न उत्पाद (डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, बीमा, निवेश और प्रतिभूतियों),
- वितरण के विभिन्न चैनल तथा
- अलग-अलग ग्राहक समूह (उपभोक्ता, लघु व्यवसाय और कॉर्पोरेट)।

खुदरा ऋण - बैंकिंग विकास का नया मंत्र

खुदरा ऋण और बैंकिंग विकास एक ही सिक्के के दो पहलू माने जा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, उस सिक्के या लक्ष्य का जिसके ये दो पहलू कहे जा रहे हैं। तो जवाब आता है - देश के समावेशी विकास के

राष्ट्रभाषा के बिना आज़ादी बेकार है। — अवनींद्र कुमार विद्यालंकार

लिए बैंकिंग जिस प्रकार जरूरी है, उसी प्रकार से बैंकिंग विकास के लिए खुदरा बैंकिंग। आज किसी भी देश की मजबूत अर्थव्यवस्था की पहली शर्त है उस देश की आबादी वित्तीय रूप से समावेशित हो तथा इसमें खुदरा ऋण की बड़ी भूमिका है। यह सर्वविदित तथ्य है कि विकास का असली मतलब तभी सार्थक होता है जब यह समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचे। बैंकिंग व्यवस्था की सफलता तभी निश्चित है जब वह आम लोगों तक आसानी से पहुंचे। विशेषकर, गरीब लोगों तक बैंकिंग सुविधा की उपलब्धता हो और इसमें खुदरा बैंकिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। खुदरा बैंकिंग आम ग्राहक से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। इसमें बैंक ग्राहक से सीधा संवाद कायम करता है। खुदरा बैंकिंग क्षेत्र में पेशकश की गई विशिष्ट उत्पादों में ड्यूरेबल्स, ऑटो ऋण, क्रेडिट कार्ड और शैक्षिक ऋण, आवास ऋण इत्यादि शामिल है। भारत की 70 फीसदी जनसंख्या 35 वर्ष से कम की है। जनसंख्या का यही भाग जीवन की सुविधाओं को यथाशीघ्र प्राप्त करने की कामना रखता है जिससे कि ऋण लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। इससे यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अपने सपनों को पूरा करने के लिए रिटेल ऋण से जुड़ेगा जिससे उसके ऊँचे स्वप्नों के साकार होने के साथ आर्थिक प्रगति भी होगी। यह वर्ग बैंकिंग जगत के कारोबार का प्रमुख अंग होगा।

भारत में खुदरा बैंकिंग कारोबार के प्रमुख संकेतक

1. भारतीय लोगों में अचानक आई समृद्धि ने उसकी क्रय शक्ति में वृद्धि की है। इससे उपभोक्ता क्रय शक्ति में भारी वृद्धि हुई है।

2. युवाओं की बड़ी आबादी : भारत एक युवा देश है। भारत में 35 वर्ष से कम आबादी का उच्चतम अनुपात मौजूद है। गोल्डमैन सैक की ब्रिक रिपोर्ट ने भी इस दिशा में इशारा किया है।

3. तकनीकी कारण : डेबिट कार्ड, इंटरनेट और फोन बैंकिंग, कहीं भी और किसी भी समय बैंकिंग की सुविधा इस क्षेत्र में कई नए ग्राहकों को आकर्षित किया है। क्रेडिट-डेबिट कार्ड, एटीएम, प्रत्यक्ष डेबिट और फोन बैंकिंग के बढ़ते उपयोग से संबंधित तकनीकी कारणों ने भारत में खुदरा बैंकिंग के विकास में योगदान दिया है।

4. खुदरा ऋण : यह लाभ बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम है। इससे बैंक ज्यादा ग्राहकों से जुड़ सकते हैं। उन्हें घर, गाड़ी के ऋण प्रदान कर बैंक ग्राहक के सपनों को पूरा कर सकते है। साथ ही बैंक वैयक्तिक ऋण प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता मुहैया करा सकते हैं। ब्याज दरों में गिरावट तथा भारतीय मध्य वर्ग की बढ़ती संख्या ने खुदरा ऋण की वृद्धि में योगदान दिया है।

भारत में खुदरा बैंकिंग

भारत में रिटेल बैंकिंग की प्रगति के पीछे सबसे बड़ा कारण इसका सतत् मांग में रहना है। शहरी भारत में इस मांग को बढ़ाने के पीछे निजी क्षेत्र के बैंक का काफी योगदान रहा है। भारत में रिटेल ऋण के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इसे निम्नलिखित तथ्यों से समझा जा सकता है :-

- प्रतिस्पर्द्धी बैंकिंग : प्रतिस्पर्द्धी बैंकिंग से जहां बैंकों के समक्ष आपसी मूल्य युद्ध (प्राईस वार) से अपनी ग्राहक सेवा में सुधार करने का अवसर प्राप्त हुआ वहीं ग्राहकों के समक्ष एक बेहतर मूल्य पाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इससे खुदरा ऋण को भी पर्याप्त विकास का फायदा मिला।

- तकनीकी बैंकिंग : रिटेल बैंकिंग को आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल तक पहुंचना तकनीक ने आसान किया। इससे बैंकों के लिए अपने रिटेल उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाना आसान हो गया।

- आर्थिक विकास : हाल के दशक में रिटेल बैंकिंग की प्रगति के पीछे भारत की आर्थिक प्रगति तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का भी बड़ा योगदान है। रिटेल ऋण ने लोगों के जीवन स्तर को उठाने में भी सहयोग दिया है।

- उपभोक्तावाद : साक्षरता दर में वृद्धि, बढ़े हुए उपभोक्तावाद तथा आवास ऋण में प्रोत्साहन ने भी रिटेल ऋण वृद्धि को

योगदान दिया।

- पर्याप्त युवा आबादी : भारत में 20-35 वर्ष के युवाओं की बड़ी फौज मौजूद है। जिनमें बचत करने की अपार संभावनाएं है। यह वर्ग रिटेल उत्पादों में ज्यादा से ज्यादा स्वरूप व विभिन्नता के साथ नए उत्पादों की मांग करता है।

- तेजी से होता शहरीकरण : तेजी से होते शहरीकरण ने भी रिटेल ऋण के लिए नए दरवाजे खोले है। आज हिंदुस्तान में टियर-2 व टियर-3 प्रकार के शहर तेजी से विकसित हो रहे है। नई सरकार भी स्मार्ट सिटी की अवधारणा ला रही है। इससे भी रिटेल ऋण के लिए व्यापक अवसर आ रहे है।

- सबके लिए आवास, गाड़ी व शिक्षा का सपना : आज आजादी के इतने दशकों बाद भी भारत की करोड़ो की आबादी अपने आवास, गाड़ी, शिक्षा के सपने से महरुम है। अब तेज होती प्रगति ने इन आवास से महरुम आबादी की आंखों में आवास के सपने को साकार करना शुरु कर दिया है। इसी का नतीजा है कि अनुमान के मुताबिक आवास ऋण की वृद्धि दर 30 प्रतिशत तक होने की संभावना है। साथ ही ऑटो ऋण की वृद्धि दर 28 प्रतिशत, व्यक्तिगत ऋण 16 प्रतिशत तथा उपभोक्ता उत्पादों की 7 प्रतिशत रहने की आशा है। शिक्षा ऋण की वृद्धि दर आने वाले वर्षों में 20 प्रतिशत तक रहने की आशा है। कृषि उत्पादों की वृद्धि दर 10 प्रतिशत तक रहने की आशा है। सकल रिटेल अग्रिमों की वृद्धि दर आगामी 5 वर्षों में 40 प्रतिशत तक रहने की संभावना है।

उपर्युक्त तथ्यों से हम सहज रुप से अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदरा ऋण-बैंकिंग विकास का नया मंत्र है। परंतु इसके लिए बैंकों को निम्न सुझावों को भी अपनाना होगा।

- वित्तीय साक्षरता : सबसे पहले बैंकों को वित्तीय साक्षरता के प्रसार पर ध्यान देना होगा। चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण ज्यादातर जगह ग्राहक बैंकों को छोड़कर रिटेल ऋण के लिए गैर बैंकिंग इकाईयों पर आश्रित रहते हैं। बैंक ऐसे लोगों को वित्तीय साक्षरता व परामर्श द्वारा अपनी ओर खींच सकते हैं।

- ग्राहक सशक्तीकरण : वित्तीय साक्षरता से ग्राहकों में स्वावलंबन, तथा सशक्तीकरण आएगा। साथ ही वे वित्तीय शिक्षण द्वारा ऋण पर नियंत्रण, धन प्रबंधन व बचत करना भी सीखेंगे।

- खुदरा ऋण परामर्श केंद्र : ऋण परामर्श को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, 'यह ऐसा परामर्श है जो ऋण लेने वालों को ऋण, बजट निर्माण तथा वित्तीय प्रबंधन के बारे में शिक्षित करता है'। खुदरा ऋण परामर्श केन्द्र का पहला उद्देश्य होना चाहिए वर्तमान वित्तीय समस्याओं के समाधान के मार्ग की जांच करना तथा ऋण के दुरुपयोग के बारे में लोगों को शिक्षित कर वित्तीय प्रबंधन को समुन्नत करना।

- ग्राहक सेवा : इस कार्य में संतुष्ट व मुस्कानपूर्ण ग्राहक सेवा का बड़ा योगदान है। इसके लिए बैंकों को वैकल्पिक डिलीवरी चैनल बनाने पर जोर देना होगा। तकनीक के उपयोग पर भी जोर देना होगा।

- देशी भाषा में सामग्री : रिटेल ऋण के क्षेत्र में प्रगति के लिए बैंकों को प्रचार-प्रसार में देशी भाषाओं का ज्यादा उपयोग करने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त तथ्यों से हम आसानी से समझ सकते हैं कि रिटेल या खुदरा ऋण के क्षेत्र में कितनी संभावनाएं मौजूद है और रिटेल ऋण देश के समावेशी विकास से कितना जुड़ा हुआ है। परंतु हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा कि आज शहरी क्षेत्रों में बढ़ते हुए मध्यवर्ग और लोगों की बदलती जीवनशैली के कारण अधिक से अधिक लोग संपत्ति निर्माण के अतिरिक्त अपनी उपभोक्ता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेने लगे हैं। कुछ स्थितियों में भारी गड़बड़ियां पैदा होती हैं और ऋण के चुकता न होने की स्थिति बन जाती है। ऐसे में बैंकों को रिटेल ऋणों को देने में उचित जांच उपायों को अपनाने पर जोर देना होगा। ताकि ऋणग्रस्तता एवं गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में वृद्धि न होने पाए। साथ ही बैंकों को विकास के इस नए मंत्र को अपनाने के लिए ग्राहक सेवा पर ज्यादा ध्यान देना होगा। क्योंकि रिटेल ऋण का भविष्य ग्राहक पर टिका हुआ है। बैंकिंग को सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है और खुदरा बैंकिंग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तभी हम कह पायेंगे कि "रिटेल ऋण देश के विकास का आधार है और खुदरा ऋण - बैंकिंग विकास के साथ-साथ देश के आर्थिक व सामाजिक विकास का भी मंत्र बन पाएंगे।"

- कॉरपोरेट कार्यालय, गुड़गांव

हिंदी को अपनाए बिना राष्ट्रीय एकता संभव नहीं। — आचार्य कृपलानी

गतिविधियाँ

श्री दीनदयाल शर्मा, महाप्रबंधक (राजभाषा), शाखा गंगटोक में निरीक्षण के दौरान शाखा कार्मिकों से बातचीत करते हुए।

प्रधान कार्यालय में आयोजित शब्दावली एवं टिप्पण प्रतियोगिता में श्री दीनदयाल शर्मा, महाप्रबंधक (राजभाषा) सहभागियों को संबोधित करते हुए। साथ है श्री राजिंदर सिंह बेवली, मुख्य प्रबंधक तथा श्री त्रिलोचन सिंह एवं डॉ. नीरू पाठक, प्रबंधक, प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग।

प्रतियोगिता के सफल आयोजन के पश्चात् सहभागियों के साथ प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग के कार्मिक।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक देहाती स्वरोज़गार सिखलाई संस्था, मोगा द्वारा ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के पश्चात् ग्रामीण महिलाओं के साथ बैंक के कार्मिक।

प्रधान कार्यालय स्तर पर आयोजित शहीदों के के शहीदी गुरुपर्व पर कीर्तन एवं

गुरुपर्व

सरताज श्री गुरू अरजन देव जी छबील और लंगर का आयोजन

बैंक की विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में उपलब्धियाँ

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), बैंगलूरु द्वारा अपने बैंक की शाखा चिकपेट, बैंगलूर को वर्ष 2014-15 के लिए राजभाषा शील्ड प्राप्त हुई।

नराकास, जोधपुर की आठवीं बैठक में संयोजक बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक श्री एम. एम. शर्मा अपने बैंक की शाखा चोपसनी रोड, जोधपुर के शाखा प्रभारी श्री हनुमान टाक को शाखा द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सांत्वना पुरस्कार देते हुए।

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), जोधपुर द्वारा अपने बैंक की शाखा चोपसनी रोड, जोधपुर को वार्षिक राजभाषा शील्ड 2014-15 का सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ।

दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा 20 मई 2015 को विशेष बैठक का आयोजन किया गया जिसमें संगीत संध्या का भी आयोजन किया गया। हमारे बैंक की इसमें विशेष सहभागिता रही।

सुश्री शम्पा शाह, वरिष्ठ प्रबंधक, शाखा विकासपुरी, नई दिल्ली ने, अपने मधुर स्वर से एक अनोखा समा बांध दिया।

श्री राजिंदर सिंह बेवली, मुख्य प्रबंधक एवं प्रभारी प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग अपने स्वर का जादू बिखरते हुए।

पीयूष कान्त चतुर्वेदी

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बीमा योजना

वर्ष 2014 के वित्तीय बजट के साथ ही कुछ सार्वजनिक हित के लिए योजनाओं की घोषणा की गई। जन-धन योजना के पश्चात् ये जनहित योजनाएँ भी बैंकों के माध्यम से की जानी नियत की गई। इन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम आदमी की जीवन सुरक्षा का किसी सरकारी कर्मचारी की तरह "पेंशन" दिया जाना, यह पहली बार हुआ। इन योजनाओं को "सामाजिक सुरक्षा" नाम दिया गया। हालांकि प्रारंभ में ये योजनायें 'आधार कार्ड' आधारित बनाई गई थीं। लेकिन बाद में इन्हें अन्य वर्गों को लाभान्वित करने के लिए संशोधित किया गया। इन योजनाओं के अन्तर्गत नामांकन पहले ही शुरू कर दिए गए लेकिन दिनांक 1 जून, 2015 से इसका लाभ मिलना आरंभ किया गया। अनुमानतः उस दिन यानि 1 जून को लगभग साढ़े पांच करोड़ लोगों ने योजना हेतु अपनी स्वीकृति एवं नियत राशि जमा कर दी और वर्तमान में 10 जून के आंकड़ों के अनुसार 10 करोड़ से भी अधिक लोगों ने लाभ उठाने का फैसला ले लिया था। सरकार इस योजना को लेकर उत्साहित है और उसके कारण भी हैं। एक आम आदमी की बीमा या पेंशन संबंधी ऐसी कोई योजना भारतीय अर्थव्यवस्था में पहली बार आई, दूसरा इससे व्यक्ति को प्रीमियम या अपना योगदान न्यूनतम देना था। एक दिन का 1 रुपये से भी कम जो कि शायद उसके लिये देना संभव है। तीसरा इन योजनाओं से लाभ पाने के लिए कोई लम्बी चौड़ी प्रक्रिया या पड़ताल नहीं करनी है, अपितु एक फॉर्म पर केवल एक बार हस्ताक्षर करने हैं और बचत खाते में निर्धारित राशि जमा रखनी है। चौथा, बीमित या नामित को अपने दावे से भुगतान प्राप्त करने के लिए भी केवल एक फॉर्म भर कर देना है, एवं न्यूनतम आवश्यक दस्तावेज़ साथ में लगाने हैं। इन्हीं आकर्षक कारणों से सरकारी तंत्र ने बड़े व्यापक तौर पर इन योजनाओं को लोकार्पण किया और सुनियोजित कार्यक्रमानुसार इसका प्रचार-प्रसार भी किया। विज्ञापन, प्रकाशन, टी.वी., रेडियो, लोकप्रिय कलाकारों, विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा सराहा जाना आदि अनेक माध्यमों का प्रयोग किया गया।

बीमा सम्बन्धी योजनाओं में दावा प्रस्तुत होने पर शाखा तुरंत उसी दिन इसकी सूचना प्र.का. सरकारी व्यवसाय विभाग व अपने आंचलिक कार्यालय को अवश्य दें।

अतः इस लेख में हम योजनाओं का संक्षिप्त विवरण ही देंगे लेकिन योजना से जुड़ी शंकाओं, एवं हाल ही में घोषित दावा-प्रकरण संबंधी जानकारी पर अधिक मनन करेंगे। साथ ही वह प्रयास भी करेंगे कि इन योजनाओं से बैंक को लाभ, बैंक के ग्राहक को लाभ और उपादेयता, के साथ इन योजनाओं को और अधिक लोकप्रिय बनाने या इस माध्यम से बैंक के ग्राहक को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने हेतु रणनीति पर चर्चा करेंगे।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना :

1. शर्तें :

इस योजना के अन्तर्गत वे बचत खाता धारक जिसकी आयु 18 से 50 वर्ष है, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें स्वतः नामे हेतु सहमति (ऑटो डेबिट कंसेंट) देनी होगी ताकि प्रति वर्ष 31 मई को इस योजना का वार्षिक प्रीमियम रु. 330/- खाते से लिया जा सके और बीमा कंपनी को दिया जा सके। यह योजना अभी की घोषणा के अनुसार 31 अगस्त 2015 तक है पर इसकी विस्तारित अवधि 30 नवंबर 2015 तक हो सकती है। समझने वाली बात यह है कि 1 जून के बाद इस योजना में शामिल व्यक्ति को प्रीमियम तो पूरा देना होगा अर्थात् रु. 330/- लेकिन उसका वर्ष 2015-2016 का बीमा 31 मई 2015 तक ही होगा। आवेदक का बीमा लाभ निम्न परिस्थितियों में निरस्त हो सकता है :-

भारत की सच्ची आत्मा का ज्ञान हिंदी द्वारा ही हो सकता है। – संपूर्णानंद

1. 55 वर्ष की आयु होने तक, बशर्ते उसने तब तक प्रीमियम दिया हो।
2. बैंक का खाता बंद होने या प्रीमियम हेतु राशि न होने पर।
3. उस बीमित ग्राहक ने इसी योजना के तहत अन्यत्र भी बीमा कराया हो।
4. बीमा कवर देय तिथि पर किसी तकनीकी कारण से

इस योजना में सहभागी बैंक मास्टर पॉलिसी धारक होगा एवं ग्राहक की पावती को पावती-सह-बीमा प्रमाण पत्र के रूप में जारी कर सकते हैं। बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तावक की जानकारी मान्य होने पर उसके खाते से रु. 330/- की प्रीमियम राशि ले ली जाएगी और उस दिन से उसका दो लाख रुपये का बीमा हो जाएगा जो कि उसकी मृत्यु के उपरांत उसके द्वारा नामित व्यक्ति को देय होगा। बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण प्रीमियम राशि के साथ प्रतिवर्ष किया जाएगा।

2. बैंकों को लाभ :

इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि रु. 330/- में से रु. 30/- प्रति सदस्य बीसी निगमित अभिकर्ताओं को देय है एवं मात्र रु. 11/- प्रति सदस्य को प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति की जानी निश्चित है। कृपया "व्यय की प्रतिपूर्ति" शब्द पर ध्यान दें। यह आय या कमीशन नहीं बल्कि योजना के अंतर्गत किए गए व्यय की "मानक प्रतिपूर्ति" मात्र है। अतः इस पर कोई कर देय नहीं है। दूसरी बात, एक बार बीमा होने के बाद हर नवीनीकरण के साथ यह राशि मिलना निश्चित है। तीसरा, बीसी या अन्य किसी की मध्यस्थता न होने पर बैंक सम्पूर्ण रु. 41/- ले सकता है और अपनी आय में दिखा सकता है।

अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति ले सकता है, लेकिन आयकर या अन्य अर्हताए न होने पर उसे सरकारी सहयोग या राशि का लाभ नहीं मिलेगा।

इसका एक लाभ और भी है। इन योजनाओं के प्रचार-प्रसार के माध्यम से हम पुराने ग्राहकों को पुनः आकर्षित कर सकते हैं। वैसे भी हमारे बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने यह 'कासा वर्ष' घोषित किया है। अतः यह एक अच्छा माध्यम होगा बचत खाते बढ़ाने का। जिन शाखाओं में बीसी या माइक्रो एजेन्ट्स हैं वे भी इसकी आकर्षक कमीशन राशि रु. 30/- के आधार पर ठोस विकास कर सकते है। बीसी को भी इसमें एक ही बार प्रयास कर ग्राहक बनाना हैं, बाद में तो उसे 'ऑटो-डेबिट' के आधार पर रु. 30/- बिना श्रम के मिलते ही रहेंगे, जब तक वह पॉलिसी चलेगी।

3. कुछ शंका-निवारण :

इस योजना से जुड़ी कुछ परेशानियाँ या शंकाओं के निवारण का यहाँ प्रयास करना आवश्यक प्रतीत होता है। जैसे :-

1. संयुक्त बचत खाता होने पर दोनों मे से कोई भी या दोनों अलग-अलग बीमित या पॉलिसी धारक हो सकता है, पर इसके लिए दोनों की प्रीमियम राशि अलग-अलग रु. 330/- + रु. 330/- देनी होगी और दोनों की पॉलिसी अलग-अलग होगी।
2. नियत तिथि पर खाते में राशि न होने पर या अन्य किसी कारण से यदि कोई व्यक्ति प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाता है, तो वह अस्वस्थता का प्रमाण-पत्र एवं कारण दर्शा कर पुनः इस योजना में शामिल हो सकता है।
3. प्रीमियम का भुगतान केवल और केवल बीमित ही अपने खाते से "स्वतः नामे" द्वारा दे सकता है, अन्य किसी प्रकार जैसे नकद या अन्य किसी के खाते से नहीं कर सकता।
4. यह योजना अग्रिम सूचना मिलने तक जारी रहेगी।
5. यदि किसी व्यक्ति का बचत खाते में पूर्व से ही कोई नामिति दर्ज है, लेकिन इस बीमा योजना में वह किसी अन्य व्यक्ति को नामित करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। इसके लिए उसे संबंधित फॉर्म में नियत स्थान पर नामित व्यक्ति जिसे वह अपनी मृत्यु के पश्चात् बीमा राशि दिलवाना चाहता हो उसका नाम एवं उससे अपना संबंध एवं आधार कार्ड नम्बर आदि जानकारी भरना होगा।

4. बीमा राशि हेतु दावा :

बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर नामिती संबंधित शाखा के दावे हेतु निर्धारित फॉर्म भरकर निम्न पेपर्स/कागज़ात प्रस्तुत करेगा :

1. अदायगी रसीद
2. मृत्यु प्रमाण पत्र
3. अपने खाते का निरस्त चेक या बैंक खाता विवरण (जिसमें उसका खाता था)।

बैंक उपरोक्त पेपर्स मिलने पर सुनिश्चित करेगा कि मृत्यु के दिन पर कथित सदस्य का कवर लागू था और विगत 1 जून को उसके खाते से प्रीमियम का भुगतान बीमा कम्पनी को दिया गया है। साथ ही वह अपने उपलब्ध अभिलेखों से दावा फॉर्म और नामिती के विवरणों की जांच कर सत्यापित करेगा और 30 कार्य दिवसों के अंदर प्रकरण प्रधान कार्यालय के जरिये बीमा कंपनी को अग्रेषित कर देगा। दावा फॉर्म मिलने पर बीमा कंपनी यदि दस्तावेज़ों व दावे से संतुष्ट होगी तो निर्धारित अधिकारी प्रकरण की जाँच करेगा और दावा सही पाएँ जाने पर उसका सीधा भुगतान नामिती के खाते में कर देगा। बीमा कंपनी के लिए दावे को अनुमोदित करने तथा धन संवितरित करने हेतु अधिकतम समय सीमा बैंक से दावा प्राप्त होने से 30 दिन है। किसी भी बीमित व्यक्ति की मृत्यु का दावा किसी अन्य बैंक या बीमा कंपनी से नामिती या किसी अन्य द्वारा प्राप्त तो नहीं कर लिया गया, यह देखने की जवाबदारी बीमा कंपनी की ही होगी। बीमा कंपनी की जवाबदारी यह भी होगी कि वह नामिती को समय-समय पर उसके दावे कि स्थिति से अवगत कराता रहे, सूचित करता रहे।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना :

यह योजना व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है जिसकी अवधि एक वर्ष है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की तरह इसका भी नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष 1 जून को ही किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु तक के बचत खाताधारक शामिल हो सकते हैं। इसके लिये प्रीमियम राशि मात्र 12/- रुपये सालाना यानि 1 रुपया प्रति माह है। यह योजना दुर्घटना के बीमा की है। यदि दुर्भाग्य से

बीमित का दुर्घटना में निधन हो जाता है, अथवा दोनों आंखों की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या दोनों हाथों या दोनों पैरों का काम करने में अक्षम होना या एक आँख की नज़र और एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम हो जाते हैं तो उसे दो लाख रुपये बीमा के रूप में मिलेंगे। यदि उसकी एक आँख की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर करने में अक्षम हो जाते है तो उसे योजना के अंतर्गत 1 लाख की राशि देय हो सकती है। इस योजना में भी "स्वतः नामे" यानि "ऑटो डेबिट" के तहत बचत खाते से पैसा सीधा बीमा कम्पनी को जाएगा। मास्टर पॉलिसी धारक बैंक होता है। पूर्व योजना की तरह इसमें भी संयुक्त खाताधारक अपने 12/- रुपये का अलग-अलग भुगतान कर बीमित हो सकते है और इस योजना का लाभ 31 अगस्त 2015 तक उपलब्ध है।

शंका समाधान : कुछ सामान्यतः पूछी गई शंकाओं और समाधान उसी तरह है, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में वर्णित है। अब शंका आती है कि यदि कोई बीमित जिसने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं बीमा सुरक्षा योजना दोनों में बीमा करवाया हो यानि की 330/- रुपये एवं 12/- रुपये क्रमशः खाते से दिए हो, और दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे क्या बीमा राशि देय होगी। ऐसे व्यक्ति को दोनों ही योजनाओं, यानि कि जीवन ज्योति बीमा योजना और जीवन सुरक्षा बीमा योजनाके अंतर्गत 2-2 लाख रुपये यानि 4 लाख रुपये की कुल राशि उसके नामिती को उसके खाते में बीमा कंपनी द्वारा सीधे पहुंचा दी जाएगी। एक बात और इन योजनाओं में किए गए। बीमा का व्यक्ति द्वारा किये गए निजी बीमा से कोई संबंध नहीं है। ये बीमा की अतिरिक्त व्यवस्था है जो व्यक्ति को उपलब्ध होगी। एक बात और स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि इस योजना का दुर्घटना में होने वाले बीमित के चिकित्सा व्यय या अस्पतालीकरण से व्यय या उसकी प्रतिपूर्ति से कोई संबंध नहीं है, अपितु यह राशि बाद

देश की समस्याएं तभी हल होंगी, जब उसका कामकाज हिंदी में होने लगेगा। — हरे कृष्णा महताब

में ही अंगों पर हुए प्रभाव के प्रमाणित होने पर ही देय है।

दावा प्रस्तुति एवं प्रक्रिया : दुर्घटना जिसके कारण पॉलिसी के अंतर्गत दावा उत्पन्न हो सकता है, के घटित होने के तत्काल बाद, बीमित या नामिती (बीमित की मृत्यु के मामले में) उस बैंक शाखा में दावा प्रस्तुत करें जहाँ के बैंक खाते से 'स्वतः नामे' द्वारा बीमा-प्रीमियम का भुगतान किया गया है। इसके लिए दावा फार्म बैंक शाखा, बीमा कंपनी, बीसी, अस्पताल आदि सभी जगह और उनके वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। यह फार्म बीमित या नामिती जैसा भी मामला हो, द्वारा ही भरा जाएगा। दुर्घटना के 30 दिवस, अधिकतम के अंदर ही इसे बैंक शाखा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस दावे के साथ मूल

एफआईआर, पंचनामे, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट तथा, मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि बीमित मृत हो गया हो) अथवा स्थायी विकलांगता के मामले में एफआईआर और पंचनामें के अलावा किसी सिविल सर्जन द्वारा जारी अपंगता प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

बैंक अधिकारी उपरोक्त दावा फार्म की सत्यता देखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बीमित का प्रीमियम भुगतान 'स्वतः नामे' द्वारा उनकी ही शाखा से बीमा कंपनी को भेजा गया है एवं अंतः बीमा पॉलिसी लागू है। इसके लिये बैंक अधिकतम 30 दिन ले सकता है। इसके साथ ही बैंक अपने अनुमोदन के साथ प्रकरण को प्रधान कार्यालय अग्रेषित कर देगा। प्रधान कार्यालय इसे आगे बीमा कम्पनी को भेजेगा।बीमा कंपनी दावा प्रकरण की जांच करेगा। और सही पाए जाने पर राशि का भुगतान बीमित या नामिति के खाते में सीधे हस्तांतरित कर देगी। यदि बीमित ने अपना नामिती घोषित न किया हो या वह जीवित नहीं है, तो सक्षम न्यायालय, प्राधिकारी द्वारा घोषित उत्तराधिकारी या वारिस को यह राशि देय होगी। बीमित को इस योजना के तहत अन्य किसी बीमा कंपनी या अन्यत्र खाते से भुगतान तो नहीं मिल गया यह देखना बीमा कंपनी का काम है 'बीमा कंपनी इस कार्य के लिए अधिकतम 30 दिन का समय ले सकती है।

बैंक को लाभ : इस योजना के अंतर्गत बीमित द्वारा देय 12/- रुपये के प्रीमियम में से 10/- रुपये बीमा कंपनी रखेगी, एक रुपया बैंक को व्यय प्रतिपूर्ति के रूप में मिलगा और एक रुपया यदि कोई बीसी या माइक्रो एजेन्ट है तो उसे देय होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो लाभ लिखे गए है, कमोवेश वही सब लाभ इस योजना में भी उपलब्ध है। यह योजना ग्राहकों को अपने से जोड़े रखने का, उन तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने का और सर्वोपरि उनका विश्वास जीतने का अच्छा अवसर प्रदान करता है।

अटल पेंशन योजना :

पूर्व में लिखी दोनों योजनायें जीवन बीमा से संबंधित थी। लेकिन यह योजना उन सबसे प्रकृति से ही भिन्न है और प्रभाव से भी। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति प्रति माह एक निश्चित राशि जमा करता है ताकि उसे निर्धारित समय के पश्चात् एक निश्चित राशि की पेंशन मिल सके। इसका आकर्षण सरकार से मिलने वाली सहायता एवं आकर्षक ब्याज दर है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति 1000/- रुपए से लेकर 5000/- रुपए तक प्रतिमाह का योगदान दे सकता है। केन्द्रीय सरकार उसके योगदान का 50 प्रतिशत यानि आधा अथवा 1000/- प्रतिमाह जो भी कम होगा, वह अपने योगदान के रूप में 5 वर्ष तक देती रहेगी। बशर्ते वह व्यक्ति अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभ न पा रहा हो और दूसरा वह आयकर दाता न हो। वस्तुतः उस योजना का लाभ ऐसे असंगठित वर्ग, निर्धन वर्ग को मिल सकता है जो आयकर देने योग्य आय भी नहीं पाता है, जिसे कोई वैधानिक सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त नहीं है और जो युवा वयस्क है। एक बात पर और भी विचार करें कि इसमें कब तक पैसा देना है? चूंकि यह योजना 18 से 40 वर्ष के व्यक्तियों पर लागू है जिन्हें उनकी आयु के 60 वर्ष के उपरान्त पेंशन देना है। तो जाहिर है कि इस योजना में अधिकतम 42 वर्ष और न्यूनतम 20 वर्ष तक मासिक किस्त देनी होगी।

हमारे यहाँ पूर्व में भी ''स्वावलंबन'' के नाम से ऐसी योजना चलती रही है। वे लाभार्थी जो ''स्वावलंबन'' योजना के स्थान पर हर योजना में

देश प्रेम और भाषा प्रेम दो अलग वस्तुएं नहीं, एक हैं। – राम विलास शर्मा

शामिल होना चाहते है, वे ऐसा कर भी सकते है। क्योंकि इस योजना का परिचालन भी 'पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण' यानि कि (पी.एफ.आर.डी.ए.) द्वारा ही किया जाना है। इस योजना संबंधी निम्न बातें भी जान लें :

1) इस योजना के अंतर्गत नामिति का नाम पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति विवाहित है और किसी भी नाम को नामित नहीं करता तो भी उसकी पत्नी स्वतः नामिति मानी जाएगी।

2) निर्धारित राशि या किश्त समय पर जमा नहीं करवाने पर आर्थिक दण्ड अथवा पेनल्टी का भी प्रावधान किया गया है जो राशि, विलम्ब और ब्याज पर आधारित है।

3) 6 माह तक किश्त का भुगतान न करने पर खाता ''फ्रीज'', 12 माह तक न देने पर ''डी एक्टिवेट' और 2 वर्ष तक न देने पर खाता बंद कर दिया जायेगा।

4) अपनी उम्र के 60 वर्ष पूर्ण होने एवं खाते के सुचारू संचालन के पश्चात् व्यक्ति अपनी बैंक में 'गारंटीड पेंशन भुगतान' हेतु आवेदन कर सकता है।

5) सिर्फ व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर ही 60 वर्ष के पूर्व उसके लिए यह योजना समाप्त होगी अथवा खाता बंद होगा।

आर्थिक पक्ष : वैसे तो विभिन्न सरकारी वेब साईटस् और हमारी बैंक की वेबसाईट पर भी बड़ी अच्छी 'टेबल' द्वारा योजना को समझाया गया है। फिर भी इसके आर्थिक पक्ष को यहाँ देखना रोचक होगा।

उदाहरण : (1) 18 वर्ष के युवा को 42 वर्ष तक 42 रूपये प्रतिमाह देने होंगे। 60 वर्ष तक नियमित भुगतान करने पर वह योजना के तहत कुल रु. 21,168/- जमा करायेगा। 60 वर्ष के पश्चात् उसे जीवित रहने तक उसे एक हजार रुपये प्रति माह उसे मिलता रहेगा। यानि उसका योगदान तो लगभग 2 वर्ष में ही वसूल जायेगा। और बाद मे तो बिना श्रम धन के भी उसे एक हजार रुपए की पेंशन मिलती रहेगी इसके अलावा, 1,70000 रुपए की ''संग्रहित राशि'' उसके नामिति हेतु जमा रहेगा। उदाहरण : (2) 40 वर्ष का व्यक्ति योजना के अंतर्गत 20 वर्ष तक 291/- रूपए प्रतिमाह के हिसाब से 69840/- रुपए का योगदान देगा। और इसे पेंशन वही एक हजार रुपए मिलेगी। अतः अपने योगदान को लगभग 6 वर्ष में वसूल कर पायेगा और उसके बाद उसकी वास्तविक पेंशन हाथ आयेगी। हाँ ''संग्रहित राशि'' के एक लाख सत्तर हजार रुपए का लाभ उसके नामिति अवश्य ले पाएंगे। इन उदाहरणों को साधारण गुणा कर हम 5 हजार रुपये तक की मासिक पेंशन योजना के आकार में सोच सकते है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने योजना के प्रोत्साहन के लिए पूरे देश के विभिन्न शहरों में प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की है।

मार्केटिंग : जैसा कि हमने पूर्व में लिखा है, देश का बहुत विशाल ''असंगठित वर्ग'' इस योजना का लक्ष्य है। उनको भी पेंशन या निश्चित राशि सरकारी गारंटी के साथ मिल पाती है तो ऐसा बड़ा जन-समूह भी अपने जीवन के प्रति, भविष्य में सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो सकता है। इस योजना द्वारा ऑटो रिक्शा वाले, साईकल रिक्शा वाले, फुटपाथ के फुटकर विक्रेता, बिल्डिंग के गार्ड्स, ठेलेवाले, रेहड़ी वाले, घर में काम करने वाले, दिहाड़ी पर काम करने वाले, ऐसे कितने ही विशाल संख्या वालों का बड़ा समूह है, जो हमारा लक्ष्य प्राप्त करना आसान कर सकता है और चूंकि यह ''कासा वर्ग'' है अतः इस माध्यम से हम अच्छी संख्या में नए बचत खाते भी खोल सकते हैं। हमारे अपने बैंक द्वारा ऋण प्रदत्त उद्योगों, इकाईयों व वर्गों को, उनमें काम करने वाले कर्मचारियों को हम इस योजना के माध्यम से जोड़ सकते हैं। भविष्य में या 60 वर्ष के पश्चात स्वाभाविक रूप से मनुष्य की शारीरिक तथा मानसिक अवस्था कमजोर हो जाती है, अतः वह भी मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक रूप से सुरक्षित होना चाहता है। पेंशन उसके इस प्रयोजन में कारगर हो सकता है।

इस देश को इस तरह की योजनाओं की कितनी आवश्यकता है इसका आकलन इसी सत्य से कर लें कि योजना के प्रथम 10 दिन में ही देश का 10 प्रतिशत से भी अधिक भाग उपरोक्त योजनाओं में कवर हो गया। परंतु विकास और जन कल्याण की इस राह पर एक सरकारी बैंक होने के नाते हमें यह नहीं देखना कि हम ने क्या कर लिया है, बल्कि यह देखना है कि अभी और कितना करना शेष है। हमारी अपनी प्रगति, बैंक की प्रगति और अपने कर्तव्य का निर्वहन सभी हमारे योगदान और प्रयासों से जुड़ा है। ये योजनाएं हमें वह अवसर दे रही हैं कि हम अपने संकल्प को दोहराएं और इन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाएं।

- मुख्य प्रबंधक
सरकारी व्यवसाय विभाग, प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली

डॉ. चरनजीत सिंह 'सागर'

ग़ज़लें

कितने देवी-देव मनाए अम्माँ ने
तब ये पाँचों बेटे जाए अम्माँ ने

घर-घर, झाड़ू-पोंछा, बर्तन, कपड़े कर
पाँचों बेटे ख़ूब बढ़ाए अम्माँ ने

अपनी गुदड़ी को वो रख कर भूल गई
लेकिन अपने लाल सजाए अम्माँ ने

अपने को हर चीज़ की ख़ातिर तरसाया
बच्चों के सब नाज़ उठाएं अम्माँ ने

अपनी इक पल भी कोई परवाह न की
बस बेटों के भाग बनाए अम्माँ ने

सब बहुओं को बेटी जैसा प्यार दिया
लेकिन सबसे ताने खाए अम्माँ ने

घर में इक कोना तक नहीं मिला उनसे
जिन सबके घर-बार बसाए अम्माँ ने

बेशक शाम को थक कर आते बाबू जी
देर तलक हमसे बतियाते बाबू जी

जब मस्ती में झूम के गाते बाबू जी
तुलसी, मीरा, ख़ूब सुनाते बाबू जी

जब भी घर में शोर-शराबा होता था
देर तलक भगवान को ध्याते बाबू जी

'सेहत सबसे बड़ी नियामत' कह-कह कर
कसरत हमसे ख़ूब कराते बाबू जी

मेले में हमको लेकर जब भी जाते
छज्जू की रबड़ी खिलवाते बाबू जी

मुझको खोए बचपन जैसे लगते थे
बालों में जब रंग लगाते बाबू जी

जैसे खुद को खूँटी पर लटकाते हो
लौट के यूं छतरी लटकाते बाबू जी

मैं, सिर्फ़ मैं

पानी गहरा है
या उथला
सतह से नीचे
खुरदरी चट्टानें हैं
या फिर चिकनी मिट्टी

आग सेक से भरी है
या मात्र धुआँ है -
आग के भीतर
लपकती लपटें हैं
या दबी चिंगारियाँ।

हवा उमस भरी है
या मस्ती लिए
तूफ़ान का अंदेशा लिए
या थपथपाती हुई

धरती दबी है
किसी बोझ तले
या सक्षम है
सभी का बोझ उठाने को।

आकाश रिक्त है
शून्य है, तिक्त है या
असीमता से आगे भी है.....

पानी
आग
हवा
धरती
आकाश
......

कहीं ये सिर्फ़ मेरा मन तो नहीं

ग़ज़लें

जिन घरों में पल रही हों बेटियाँ
काँच की होती है उनकी खिड़कियाँ

कौन जाने किस दिशा में जाएंगी
तैरती फिरती हुई ये तितलियाँ

मन में रहती हैं हज़ारों हलचलें
और होठों पर सजी खामोशियाँ

इनकी ये यादें यहीं रह जाएँगी
गुड्डे-गुड़िया, रस्सियाँ, अठखेलियाँ

याद जब सावन में ये घर आएगा
दूर आँखों से बहती बदलियाँ।

मन में सपने बुनती पूजा
फूल आस के चुनती पूजा

जब से उसको कोई भाया
हार आस के गुनती पूजा

सोलह मौसम देख चुकी है
दिन भर ताने सुनती पूजा

जब-जब बादल घिर कर आते
तब-तब रुनती झुनती पूजा

सारी दुनिया उसकी दुश्मन
आखिर किसको चुनती पूजा

छतरियाँ

मौसम की मार से बचने के लिए हर बार
मैं तान लेता हूँ छतरी सिर पर

इसलिए ही मैंने रख ली हैं रंग-बिरंगी
लाल, नीली, पीली, काली, हरी...
सब तरह की छतरियाँ
हर बदलती स्थितियों के अनुसार
बदलता रहता हूँ हर मौसम में
एक-एक करके छतरियाँ...

हालाँकि कोई भी छतरी
बचा नहीं पाती न झमाझम बारिश से
न तीखी चिलचिलाती धूप से
न तेज़ सर्द हवाओं से-मुझको।

सिर पर तनी छतरी की ओट में भी
सुरक्षित नहीं रह पाता...
जानता हूँ अच्छी तरह से

....

पर फिर भी न जाने क्यों
एक आदत सी पड़ गई है-
सिर पर छतरी तान कर चलने की।

और अब बिना छतरी के
मैं रह ही नहीं पाता-
अच्छे-भले मौसम में भी.....

- सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक

हमें इन पर गर्व है

कुमारी मोनिका शर्मा, (ए.एफ.ओ.), प्रधान कार्यालय प्राथमिकता क्षेत्र विभाग, ने स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर की वर्ष 2012-2013 की विज्ञान स्नातक (ऑनर्स) कृषि परीक्षा में योग्यता सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर माननीय श्री कल्याण सिंह, राज्यपाल, राजस्थान द्वारा "स्वर्ण पदक" एवं "चौधरी चरणसिंह स्मृति प्रतिभा पुरस्कार" प्राप्त किया।

चंडीगढ़ बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में हमारे बैंक के द्वारा अंतः बैंक समाचार वाचन प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया।

एकता से सुधार की ओर भारत.....

रुचि आर्य

इस राह पे आगे बढ़ने से, इन्सानियत न दिल से मिट जाए
आओ मिलकर उस ओर चलें जहां अपना भारत रहता है

एक दुर्घटना से ग्रस्त मनुष्य, धरती पे बिलखता रहता है
सब घेर लगाकर ताकते हैं, दर्द में वो तड़पता रहता है
इक बार नहीं मन में आता, अपने भी यहाँ हो सकते हैं
तुम आज उसे ग़र बचाते हो, वो दुआ तुम्हें दे सकता है
कल शायद बिगड़े काम सभी, उस पुण्य से मुमकिन हो जाए
कल पुण्य तुम्हारे कर्मों के, अपनों के कभी फिर काम आए........

कुछ लोग सड़क पर आवारा, इक युवती को परेशान करें
जग अनदेखा करता उनको, सोचें इन सब में कौन पड़े
डरते हैं सभी इस दुनिया में, सच्ची बातों पे लड़ने से
कल हो सकता इस पीड़ा से, अपने ही तड़प के गुज़र रहें.........

अब दफ्तर के सब कामों में, चापलूसों की वाह-वाही है
जो मेहनत से कर काम रहा, उसकी पीठ न थपथपाई है
कुछ काम कराने जाओ तो, है समय पर होता काम नहीं
इन्सान की हो पहुँच यहाँ, या होनी सबकी कमाई है
इस भ्रष्टाचार के दानव से, लड़ रहा है पूरा ही भारत
कितनी करते हम कोशिश हैं, पर जीत नहीं मिल पाई है.............

कहीं होटल की रसोईयों से, भर भरकर भोजन है फिंकता
कहीं कोई गरीब का बच्चा, भूख से बेजार है बिलखता
कहीं लेकर प्रभु का नाम यहाँ, पाखंडी पूजे जाते हैं
कहीं डरा के जग के लोगों को, पंडित भी पैसे कमाते हैं.............

अब आओ सभी हम मिलजुल कर, इक बार फिर नई पहल करें
देंगे हम साथ अब हर उसका, जो दुर्घटना से जुझेगा
अब हर उसकी हम मदद करें जो कठिनाई से लड़ता है
रोकें हर उस इन्सान को हम, जो ग़लत कार्य को करता है
फिर हर महिला हर रास्ते पे, सुरक्षित निकल पाएगी
और भूखे को भोजन देकर, खुद संतुष्टि मिल जाएगी
इस भ्रष्टाचार को रोकने हम, एकजुट होकर फिर पहल करें
आओ मिलकर उस ओर चलें जहाँ अपना भारत रहता है.............
जय हिन्द...............

- प्रधान कार्यालय
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

ज़रा सोचिए

राजिंदर सिंह बेवली

कुछ दिन पहले मैं रेलगाड़ी से दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था। गाड़ी चलने ही वाली थी। मेरे साथ वाली सीट पर लगभग 25 साल का एक युवक आकर बैठ गया। उसके हाथ में एक चाय का गिलास था। गाड़ी चल पड़ी और कुछ ही मिनटों में उसका चाय का गिलास खाली हो गया। वह उठा, ऊपर से उसने अपना बैग उतारा, उसमें से एक स्टील की डिब्बी निकाली, प्लास्टिक का चाय का गिलास डिब्बी में रखा, डिब्बी को बंद किया और उसे बैग में डाल लिया। फिर बैग बंद करके वापिस ऊपर रख दिया। इर्द-गिर्द के सभी यात्रियों ने यह सब देखा लेकिन किसी ने भी उससे कुछ नहीं कहा न ही कुछ पूछा।

कुछ देर बाद मैंने उससे थोड़ी बातचीत शुरू की और उसकी इस अच्छी आदत की तारीफ की। मैंने पूछा कि आपने सभी को एक संदेश दिया है - स्वच्छता का। वह बोला हमारे परिवार में तो मैंने यह बचपन से ही ऐसा देखा है। हाँ यदि गाड़ी रुकी होती तो निश्चित रूप से मैं गाड़ी से उतरता और प्लेटफॉर्म पर चाय की दुकान के साथ रखे डस्टबिन में गिलास डालकर आता। पता नहीं क्यूँ लोग खिड़की से बाहर गंदगी फेंक देते हैं। मेरा चाय का गिलास मोहाली में मेरे घर में रखे कूड़ेदान में चला जाएगा।

वाह! अपने छोटे से इस उदाहरण से वह लड़का सभी यात्रियों को कितना बड़ा संदेश दे गया। जिसने समझ लिया उसने पा लिया और जो नहीं समझ पाया वह रह गया....... कुछ पाने से।

हम भी सोचें हममें से कितने हैं, जो ऐसा करते हैं। यदि हम सब ऐसे हो जाएं तो! तो........ कैसा दिखना शुरू हो जाएग हमारा देश........ ज़रा सोचिए!

- संपादक

राजीव कुमार राय

स्वच्छ भारत अभियान

'स्वच्छ भारत अभियान' भारत सरकार द्वारा आरम्भ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य न केवल घर-मकान बल्कि प्रत्येक गली, सड़क, नदी, नालों की सफाई द्वारा सम्पूर्ण देश को साफ-सुथरा करना है। यह अभियान महात्मा गाँधी के जन्मदिन 02 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया।

शहरी क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत अभियान

मिशन का उद्देश्य 1.04 करोड़ परिवारों को लक्षित करते हुए 2.5 लाख सामुदायिक शौचालयों, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालयों और प्रत्येक शहर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत आवासीय क्षेत्रों में जहाँ व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करना संभव नही हैं वहाँ सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन स्थलों, बाजारों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशनों जैसे प्रमुख स्थानों पर भी सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। यह कार्यक्रम पाँच साल की अवधि में 4401 शहरों में लागू किया जाएगा। कार्यक्रम पर खर्च किए जाने वाले रु. 62,009 करोड़ में से केन्द्र सरकार की तरफ से रु. 14623 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले रु. 14623 करोड़ में से रु. 7366 करोड़ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर रु. 4,165 करोड़ व्यक्तिगत घरेलू शौचालय पर, रु. 1828 करोड़ जनजागरूकता पर और समुदाय शौचालय बनवाये जाने पर रु. 655 करोड़ खर्च किये जाएंगे। इस कार्यक्रम में खुले में शौच, अस्वच्छ शौचालयों को फ्लश शौचालयों में परिवर्तित करने, मैला ढ़ोने की प्रथा का उन्मूलन करने, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ एवं स्वच्छता से जुड़ी प्रथाओं के संबंध में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना आदि शामिल हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत अभियान

निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए माँग आधारित एवं जन केन्द्रित अभियान है, जिसमें लोगों की स्वच्छता संबंधी आदतों को बेहतर बनाना, स्व-सुविधाओं की माँग उत्पन्न करना और स्वच्छता सुविधाओं को उपलब्ध करना, जिससे ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर और श्रेष्ठ बनाया जा सके। अभियान का उद्देश्य पांच वर्षों में भारत को खुले शौच से मुक्त देश बनाना है। अभियान के तहत देश में लगभग 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों के निर्माण के लिए एक लाख चौंतीस हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बड़े पैमान पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण भारत में कचरे का इस्तेमाल उसे पूंजी का रुप देते हुए जैव उर्वरक और ऊर्जा के विभिन्न रूपों में परिवर्तित करने के लिए किया जाएगा। अभियान को युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर ग्रामीण आबादी और स्कूल शिक्षकों और छात्रों के बड़े वर्गों के अलावा प्रत्येक स्तर पर इस प्रयास में देश भर की ग्रामीण पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को भी इस अभियान से जोड़ना है।

अभियान के एक भाग के रूप में प्रत्येक पारिवारिक इकाई के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की इकाई लागत को रु. 10,000/- से बढ़ा कर रु. 12,000/- रुपये कर दिया गया है और इसमें हाथ धोने, शौचालय की सफाई एवं भंडारण को भी शामिल किया गया है। इस तरह के शौचालय के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता रु. 9,000 और इसमें राज्य सरकार का योगदान रु. 3000 होगा। जम्मू एवं कश्मीर एवं उत्तरपूर्व राज्यों एंव विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलने वाली सहायता रु. 10800 होगी जिसमें राज्य का योगदान मात्र रु. 1200 होगा। अन्य स्रोतों से अतिरिक्त योगदान करने की स्वीकार्यता होगी।

स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वच्छ-भारत विद्यालय अभियान 25 सितंबर, 2014 से 31 अक्टूबर 2014 के बीच केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालय संगठन में आयोजित किया गया था।

इस दौरान प्रस्तुत गतिविधियों पर जोर दिया गया -

- स्कूल में कक्षाओं के दौरान प्रतिदिन बच्चों के साथ सफाई और स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर एस.बी.ए. विशेष रूप से महात्मा गांधी की स्वच्छता और अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ी शिक्षाओं के संबंध में बात करें।
- कक्षा, प्रयोगशाला और पुस्तकालयों आदि की सफाई करना।
- स्कूल में स्थापित किसी भी मूर्ति या स्कूल की स्थापना करने वाले व्यक्ति के योगदान के बारे में बात करना और इन मूर्तियों की सफाई करना।
- शौचालयों और पीने के पानी वाले क्षेत्रों की सफाई करना।
- रसोई और घर की सफाई करना।
- खेल के मैदान की सफाई करना।

- स्कूल बगीचों का रखरखाव और सफाई करना।
- स्कूल भवनों का वार्षिक रखरखाव रंगाई एवं पुताई के साथ।
- निबंध, वाद-विवाद, चित्रकला, सफाई और स्वच्छता पर प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- मंत्रिमंडलों का निगरानी दल बनाना और सफाई अभियान की निगरानी करना।
- इसके अलावा, फिल्म शो, स्वच्छता पर निबंध/पेंटिंग और अन्य प्रतियोगिताओं, नाटकों आदि के आयोजन द्वारा स्वच्छता एवं अच्छे स्वास्थ्य का संदेश प्रसारित करना। मंत्रालय ने इसके अतिरिक्त स्कूल के छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को शामिल करते हुए सप्ताह में दो बार आधा घंटा सफाई करने का प्रस्ताव भी रखा है।

हमारे बैंक का स्वच्छता अभियान में योगदान

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दिए गए स्वच्छता के मंत्र, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के स्वच्छता के प्रति उद्‌गार को देखते हुए और स्वच्छता की महत्ता की लौ कार्मिकों में जगाने हेतु पंजाब एंड सिंध बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय श्री जतिंदरबीर सिंह, आईएएस ने अपने सहयोगी कार्यकारी निदेशक श्री किशोर सॉसी के साथ, भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान की कड़ी के रूप में पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रधान कार्यालय नई दिल्ली से सफाई अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का संचालन, अखिल भारतीय स्तर पर किया गया जिसमें बैंक के सभी आँचलिक कार्यालय तथा शाखाएं सम्मिलित हुई। कार्यकारी निदेशक श्री मुकेश कुमार जैन ने इस अभियान का नेतृत्व आँचलिक कार्यालय, मुंबई में किया।

स्वच्छ भारत अभियान के अवसर पर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने अपने सभी कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलवाई। श्री सिंह ने, बैंक की टीम के साथ, जिसमें सभी अधिकारी सम्मिलित थे, ने सक्रियता से इस अभियान में सहभागिता की। 150 कर्मचारियों की दस टीमों ने राजेन्द्र प्लेस के निकटवर्ती क्षेत्रों में अपने हाथों में बैनरों और पोस्टरों के अलावा झाड़ू, कूड़ादान, दस्ताने आदि स्वच्छता का पूरा सामान लेकर साफ-सफाई का अभियान चलाया तथा प्रचार भी किया।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा सभी कर्मचारियों से स्वच्छता के इस संदेश को फैलाने का और इस अभियान को निरंतरता के आधार पर चलाए रखने का आह्वाहन भी किया गया। उन्होंने पंजाब एंड सिंध बैंक को 'द बैंक ब्यूटिफुल' बनाने का आह्वाहन किया।

हम सभी देशवासियों को याद रखना चाहिए कि जीवन में स्वच्छता केवल सफाई के लिए नहीं है अपितु यह विभिन्न गंभीर बीमारियों से हमें बचाती है और देश की शान बढ़ाती है। हम जब कभी विदेश जाते हैं तो उनकी स्वच्छता का गुणगान करते हैं लेकिन यह नहीं सोचते कि हमारा देश भी तो सुन्दर बन सकता है। हम स्वच्छता के लिए नगरपालिका या सरकार को दोष देते हैं। घर तो साफ रखते हैं लेकिन कूड़ा सड़क पर फेंकतें हैं। स्वच्छता अभियान तभी सफल होगा जब हम प्रत्येक देशवासी अपने गिरेबान में झांके और अपने-अपने स्तर पर स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दें। तभी हमारा घर, हमारा कस्बा, हमारा शहर और हमारा देश सुन्दर बन सकेगा तथा विदेशी पर्यटक भारत आने को प्राथमिकता देंगे और गर्व से हम अतिथियों का स्वागत कर सकेंगे।

- प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग

हिंदी के बिना जनतंत्र की बात केवल धोखा है। — अंबिका प्रसाद वाजपेयी

कामेश सेठी

बैंकिंग उद्योग में बिचौलियों का प्रभुत्व

दलालो या बिचौलियों का अस्तित्व वर्षों से पूरे विश्व भर के लगभग सभी क्षेत्रों में रहा है, हाँ उनका नामकरण विभिन्न प्रकार का अपने-अपने क्षेत्रों के अनुसार रहा जैसे कि एजेन्ट, पीम्प, डीलर, ब्रोकर, सिंडीकेट, लेकिन इन सभी का उद्देश्य एक ही रहा है लोगों को उस क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान न होने का लाभ उठाना।

विगत कुछ वर्षों से बैंकिंग व्यवसाय में दलालों/बिचौलियों का बहुत तेजी से प्रभाव बढ़ा है जो कि बैंकिंग उद्योग के लिए सही नहीं है। बड़े शहरों में सिंडीकेट या फण्ड रेसर के नाम से धड़ल्ले से ये लोग बड़े उद्योगपतियों को उनके उद्योगों के लिए पूंजी की व्यवस्था बैंकों से करवाते हैं एवं इसके एवज में इनसे मोटी-रकम कमीशन के रूप में वसूलते हैं।

आज बैंकों के अधिकांश बड़े ऋण इन्हीं के द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं क्योंकि सिंडीकेट में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ लगे होते हैं जो कि बैंकिंग के नियमों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ बड़े सिंडीकेट अपने यहाँ चार्टड एकांउटेंट, वकील, इंजीनियर यहाँ तक की बड़े-बड़े कॉलेजों से पास एम.बी.ए. (फाइनेन्स) को रखते हैं ताकि किसी भी किस्म की जानकारी की कमी न रह पाए। बैंकों के मुख्यालयों में बैठे बड़े-बड़े अनुभव प्राप्त व्यक्तियों/अधिकारियों से भी अधिक जानकारी इन सिंडीकेट के पास होती है एवं उनके सभी प्रश्नों का सार्थक उत्तर उनके पास होता है। हालांकि इस प्रकार के दलालों से बैंकों को नुकसान बहुत कम होता है, हाँ जो छोटे-छोटे शहरों या गाँवों में बिजनेस फेसिलेटर या डीलर या एजेन्ट के नाम से जाने जाते हैं उनसे बैंकों को भारी नुकसान हो रहा है।

ये कमजोर शाखा प्रबंधकों से मिलकर न केवल गलत तरीके से ऋण करवा देते हैं जिसके कारण अक्सर बैंक के साथ फ्राड या गबन हो जाता है जिससे शाखा प्रबंधक को कई बार सजा के तौर पर जेल भी जाना पड़ जाता है। जो शाखा प्रबंधक खुद अपनी मार्केटिंग करने में सक्षम नहीं होते, वे इनका सहारा लेते हैं एवं ऋण एवं जमा दोनों का व्यवसाय बढ़ाते हैं। वास्तव में इन दलालों ने आजकल अपनी जड़े उन विभागों में जमा ली है जहाँ से बैंकों की बड़ी मात्रा में डिपॉजिट मिलता है जिसे बैंकिंग भाषा में बल्क डिपॉजिट कहा जाता है। ये विभाग है - विश्वविद्यालय, राज्यों के निगम, स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण एवं राज्यों के अन्य कॉरपोरेशन। इन्हीं दलालों के कारण इन विभागों में जबरदस्त भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है और एक करोड़ रूपये के डिपाजिट के लिये दस हजार रूपये तक की मांग विभागों के अधिकारियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है।

अक्सर शाखा प्रबन्धकों को ये एजेन्ट कहते हैं कि "आपको जितना डिपाजिट चाहिए हम उपलब्ध करा देते हैं पर हमारे इशारे पर ऋण करते जाइए।" जिससे वे ऋणी से मोटी रकम वसूलते हैं। ऋणी यह समझता रह जाता है कि शायद शाखा प्रबंधक मोटी रिश्वत लेता है। हालांकि कुछ शाखा प्रबंधक इससे भी परहेज नहीं करते हैं और खुद भी रिश्वत ले लेते हैं। धीरे-धीरे दबाव में दलाल के माध्यम से ऋण गलत होने लगते हैं और अन्ततः ये नौबत आ जाती है कि फ्राड बैंक के सामने आता है और बैंक को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा बैंकों की साख पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है।

आज बैंकों के अधिकांश ऋण से गबन के मामलों में दलालों के मिलीभगत अवश्य पायी गयी है और बैंकों की मोटी रकम डूब गई है।

यदि एक बार दलाल का प्रवेश बैंक की किसी शाखा में हो जाता है तो उस शाखा का सत्यानाश अवश्य ही होता है हो सकता है कि कुछ समय अवश्य मिल जाये। होता यूँ है कि कुछ बिचौलिये उस शाखा को निशाने पर लेते हैं जहाँ पर नए शाखा प्रबंधक कार्यभार सम्भालते है और उनसे सम्वंध स्थापित कर ये लोग ऋण करवाना शुरू कर देते हैं एवं आवश्यकतानुसार शाखा को डिपोजिट भी दिलवा देते हैं। अब

हिंदी, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है।– डॉ. प्रभाकर माचवे

शाखा की ऋण एवं जमा दोनों के आंकड़ों में जबरदस्त तरीके से वृद्धि होने लगती है जिससे शाखा प्रबंधक को तो शाबाशी मिलनी शुरू हो जाती है साथ ही साथ उच्च अधिकारी भी उनसे खुश रहते हैं। लेकिन ये बहुत अधिक दिनों तक नहीं चल पाता है क्योंकि शाखा के लक्ष्य भी उसी तरह से वर्ष दर वर्ष बढ़ते चले जाते हैं और आने वाले नए प्रबंधक को बिना दलाल के शाखा चलाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फलतः नए शाखा प्रबंधक को भी उच्च अधिकारियों की नाराज़गी से बचने के लिए उसी दलाल का सहारा लेना पड़ता है और अन्ततः इसी क्रम में कई ऋण गलत हो जाते हैं और शाखा सी.बी.आई. एवं पुलिस के घेरे में आ जाती है साथ ही शाखा का पूर्णतः सत्यानाश हो जाता है।

एक अनुमान के अनुसार लगभग 25 प्रतिशत बैंकों में ऋण का कार्य आज दलालों के द्वारा ही कराया जा रहा है, जो कि पूर्णतः जोखिम से भरा हुआ है यदि दलालों की बढ़ती तादाद पर कोई रोक नहीं लगायी गयी तो बैंकों को आने वाले समय में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

सुझाव : बैंकों को केवल प्रसिद्ध सिंडीकेट या फन्डरेजर के साथ ही संबंध रखना चाहिये क्योंकि ऐसी संस्था अपनी साख का विशेष ध्यान रखती है। शाखा प्रबंधकों को छोटे-छोटे दलालों, जिनकी अपनी कोई साख नहीं होती, से दूरी बनाकर रखनी चाहिए।

लक्ष्य की प्राप्ति के लिये शाखा प्रबंधकों को खुद ही मार्केटिंग करनी चाहिए और इस प्रकार के दलालों का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। ये किसी भी समय शाखा को खतरे में डाल सकते हैं। इस प्रकार के दलालों पर विश्वास करना आत्महत्या करने के समान है क्योंकि इनका ध्येय केवल अपनी कमीशन पर होता है और इनके पास नैतिकता नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। ऋण हमेशा सीधे ऋणी को ही दिया जाना चाहिये। यदि किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऋणी आता है तो शाखा प्रबंधक को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। आँचलिक कार्यालयों को पूर्णतः निगरानी रखनी चाहिए कि किस शाखा में दलालों के द्वारा ऋण उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिससे कि समय रहते ही हानि से बचा जा सके। यदि सभी शाखा प्रबंधक ये गाँठ बांध लें कि दलालों को शाखा में प्रवेश नहीं देंगे तो बैंकों का बहुत सा रूपया डूबने से बच सकता है।

- शाखा पी. रोड, कानपुर

जिंदगी

आपने कभी भी ये सोचा है
इंसान अकेले रहने से क्यूँ घबराता है
पल दो पल के लिये ही शायद उसको
अपने पास रहने का वक्त मिल पाता है।
और फिर उसको दूसरों से इतना डर नहीं लगता
जितना कि अपने आप से डर जाता है
फरेबो में लिपटी हुई ये जिंदगी
नदी के पानी की तरह हम को बहा ले जाती है
और हम बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करते
क्योंकि यही जिंदगी शायद हमें
कुछ ज्यादा ही भा जाती है।

जिस तरह की मैने ये ज़िदगी जी है
हर घड़ी लगता है खुदकुशी की है
जिस गली से गुजरता हूँ भटक जाता हूँ मैं
लगता नहीं कि मेरी कोई मंजिल भी है
झूठी मुस्कान लिये फिरते हैं बेजान चेहरे
सब की हालत लगता है मेरे जैसी ही है
डूबते हुये को तिनके का सहारा होता है
मगर यहाँ तो सारी ज़मीं ही बंजर सी है
कभी खुदा मिला तो उससे पूछूँगा
मुझ को पैदा किया है या दिल्लगी की है।

- एस. एस. बिन्द्रा
सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक

उत्तर और दक्षिण भारत का सेतु हिंदी ही हो सकती है।– प्रो. चंद्रहासन

हिंदी/पंजाबी कार्यशाला

आँचलिक कार्यालय, अमृतसर

आँचलिक कार्यालय, देहरादून

आँचलिक कार्यालय, बरेली

आँचलिक कार्यालय, हरियाणा

आँचलिक कार्यालय, गुड़गांव

आँचलिक कार्यालय, जालंधर

आँचलिक कार्यालय, भोपाल

सहभागी

वित्त मंत्रालय : वित्तीय सेवाएँ विभाग के निर्देशानुसार बैंक के प्रधान कार्यालय तथा आंचलिक कार्यालयों में

''मस्तिष्क मंथन'' तथा ''आपसी संवाद - सार्थक दिशा''

के विशेष सत्र

सी.बी.आर.टी., चंडीगढ़

सी.बी.आर.टी., चंडीगढ़

आंचलिक कार्यालय, चंडीगढ़

पाठकों से निवेदन

बैंक के राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन हेतु 'पी.एस.बी. राजभाषा अंकुर' पत्रिका का विगत दो दशकों से सफल प्रकाशन किया जा रहा है। इस प्रकाशन में राजभाषा हिंदी के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, बैंकिंग, कंप्यूटर एवं मानव-संसाधन से जुड़े लेखों के प्रकाशन के साथ-साथ हास्य-व्यंग्य, कविता, ग़ज़ल का प्रकाशन किया जाता है। स्टाफ़-सदस्यों के बच्चों को प्रेरित करने के लिए उनकी शैक्षिक उपलब्धियाँ, स्केच, पेंटिंग को भी यथोचित स्थान प्रदान किया जाता है। इसे बहु-आयामी, प्रेरक और प्रोत्साहन माध्यम बनाने के लिए सभी का सहयोग एवं मार्गदर्शन अपेक्षित है। राजभाषा विभाग में आपके मूल लेख, कविता, सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं।

मुख्य संपादक

पी.एस.बी. राजभाषा अंकुर

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्र.का. राजभाषा विभाग

21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

वी. एस. मिश्रा

पगला भाग गया

पगला भाग गया। शाम तक मोहल्ले में सब यह जान गए थे कि पगला भाग गया है। दस मुँह दस बातें। जज साहब ने कहलवा रखा था कि पगला चोरी करते हुए पाया गया और निष्कापित कर दिया गया। सहसा विश्वास नहीं होता था क्योंकि मोहल्ले में ऐसा कौन था जिसकी मुफ्त और निष्काम सेवा उसने नहीं की हो?मध्य रात्रि में भी किसी को आवश्यकता पड़ती थी, वह हाजिर हो जाता। अपनी गंदी वेशभूषा के बावजूद सभी में लोकप्रिय था। जज सावह का रसूख था। किसी को फर्क नहीं पड़ा, जबकि सर्वविदित था कि निष्काम सेवाभक्ति व स्वाभिमान का प्रतीक जो किसी सेवा के लिए किसी से एक पैसा भी नहीं लेता था। टखने तक खाकी हाफ पेंट, आधी आस्तीन वाला बनियान, बिना जुराबों के कपड़े वाले जूते और चलते समय स्वयं से ही बातें करना। इस भंगिमा एवं परिधान के कारण मोहल्ले वालों ने उसका नामकरण कर दिया था। मस्त मौला और प्रसन्न रहना अब शायद पागलों की ही धरोहर बन कर रह गयी थी।

जज साहब के भृत्य कक्ष में एक कोना पगले का भी था और इस आश्रय के बदले पगला अल सुबह जज साहब की कोठी का प्रांगण व लॉन साफ करता था और फूल-पौधों को जल देता था। प्रांगण की सुन्दरता की पृष्ठभूमि वदसूरत पगले का ही परिश्रम था। पुनः घर के गन्दे कपड़ों को धोना व इस्त्री करना और फिर घर के लिए छोटा-मोटा सौदा लाना। इसके बाद जज साहब की पुत्रियों को सुरक्षित करते हुए विद्यालय पहुंचाना और फिर रसोईघर में सहायता करना। इन सब के बदले उसे भोजन मिल जाता था। इतनी सेवा और वह भी निष्काम भाव से। वह कोई पारश्रमिक लेता भी नहीं था और उसे कोई देता भी नहीं था। जज साहब के अतिरिक्त अन्य लोग-बाग भी पगले से अपना कार्य करवाते पर पगला था कि किसी से कुछ लेने को तैयार ही नहीं। हाँ दिन-प्रतिदिन के जेब खर्च के लिए कुछ बाल-पत्रिकाएँ, बड़े लोगों की पत्रिकाएं, पॉकेट बुक्स वाले उपन्यास घूम-घूमकर मोहल्ले में बेचता था, वह भी जज साहब से छिपाकर, क्योंकि जज साहब को यह नागवार लगता कि उनके घर का मज़दूर कोई दूसरा कार्य भी करें। भले ही जज साहब पगले को काम के बदले कोई भी पारिश्रमिक नहीं देते परंतु पगले को खुशी थी कि उसे अपना तो समझते थे।

पगले से हमारी जान-पहचान का यही कारण था। मैं और मेरे बड़े भाई कहानी पत्रिकाओं को बड़े चाव से पढ़ते थे और हमारे जेब खर्च का विपुलांश इसी पर व्यय हो जाता था। हम लोग पगले के नियमित ग्राहक थे। एक दिन जज साहब की उपस्थिति में कोई व्यक्ति पगले से कोई पत्रिका खरीदने आया। जज साहब को बुरा लगा, उन्होंने पगले को हिदायत दे दी कि फिर ऐसा न हो। उसी दिन पगला अपने पत्रिकाओं की ढेरी लेकर हमारे घर आया और आग्रह किया कि हम अपने घर में उन पत्रिकाओं के लिए थोड़ी सी जगह दें। हमारे लिए यह बड़ी प्रसन्नता की बात थी कि हमें मुफ्त में कई किताबें पढ़ने को मिलेगी, प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया गया, बस माँ से अनुमति लेनी थी। माँ एक उच्चाधिकारी की पत्नी थी पर अपनी ग्रामीण और लौकिक पृष्ठभूमि के कारण इतना संवेदनशून्य नहीं थी। अब वह बाजार से पत्रिकाएँ खरीद कर हमारे घर में रखता और समय पाते ही उन्हें घूम-घूमकर बेचता। पगला जब भी आता माँ उसे खाने के लिए कुछ न कुछ दे देती। हम भी उससे इतना घुल मिल गए थे कि कैरेम-बोर्ड में उसे भी भागीदार बना लेते।

इन्ही सहज क्षणों में पगले ने बताया कि चौदह वर्ष की अल्पायु में ही सौतेली माँ की प्रताड़ना से तंग आकर वह इस शहर में भाग कर आया था। पहले होटल में काम करता था किंतु हाड़तोड़ परिश्रम के बावजूद आधे पेट भोजन और गालियों के सालन से व्यथित रहता था। छोटी-मोटी मजदूरी भी की पर लोगों के अंदर अपने लिए सम्मान के भाव को अपमानित होते हुए देखकर कहीं टिकता नहीं था। जज साहब के यहाँ परिश्रम तो था परंतु एक प्रकार का सम्मान भी था और फिर मोहल्ले में भी लोग उसके प्रति उदार थे, क्योंकि उसकी निष्काम सेवा का कमोबेश सबने उपभोग किया था। स्वयं पगले ने बताया था कि एक शाम को जज साहब का इकलौता पुत्र लॉन में टहल रहा था और तभी कहीं से कोई विषधर वहाँ पहुँच गया, इससे पूर्व कि साहबजादे अपने पैर उस पर रखते, विद्युत की गति से पगले ने एक लाठी में लपेट कर उसे फेंक दिया। परिवार वालों ने उस रात उसे सूखी रोटी के साथ खीर भी दी पर जज साहब ने सुबह लॉन की दुर्दशा पर बिगड़े, क्योंकि रात्रि में सर्प प्रसंग के कारण कुछ गमले टूट गए थे। पगले ने इसे आत्मसात कर लिया क्योंकि वह मानता था कि सर्प को भगाने के लिए उससे कुछ गलतियाँ हो गयी थीं। इसी तरह एक बार जज साहब की बड़ी बेटी की शादी की तैयारियां

चल रही थी, सारा सामान व आभूषण एक कमरे में था। रात को पीछे खुले खेतों की तरफ से कुछ चोर घुस आये और चोरी करके ज्यों ही भागने को उद्धत हुए पगला सामने था। उनकी बातचीत से शायद वह जाग गया था और उसने एक चोर जिसके पास चोरी का सारा बहुमूल्य आभूषण था, को बुरी तरह से जकड़ लिया। इतना बलवान तो नहीं था कि सभी चोरों को एक साथ मार भगाता लेकिन इतना साहसी जरूर था कि शरीर में प्राण रहते तक किसी एक को पकड़ कर रख सकता था। दूसरें चोरों ने उसे बहुत मारा पर पगले की जकड़ को छुड़ा नहीं सके। शोर से सारे घर में जागरण हो गया और शेष चोर भागने में सफल हो गए। पगले को बड़ा गर्व हुआ कि जज साहब ने उसे शाबाशी दी थी। उसे और चाहिए ही क्या था वह तो इसी से खुश रहता था। सभी विलासिता से दीनहीन उस आदमी के लिए शाबाशी किसी पुरस्कार से कम नहीं थी बस मान-सम्मान का ही भूखा था वह।

पगला भाग गया था। बस इतनी सी बात को कौन याद रखता, लेकिन हमारे लिए किसी बड़ी दुर्घटना से कम नहीं था क्योंकि मुफ्त की कहानियों पर विराम लग गया था। बचपन का घाव बड़ी जल्दी भर जाता है और हम भी एक तरह से उसे भूल ही गए थे। लेकिन उस दिन स्टेशन जाना था। कोई आने वाला था और रेलगाड़ी अभी तक स्टेशन में पहुँची नहीं थी। निर्धारित आगमन समय से कुछ समय पश्चात् आने की घोषणा हुई। प्लेटफार्म पर चहलकदमी कर रहे थे कि कोने में एक परिचित सूरत दिखी। अरे यह तो पगला था कृशित, क्लांत। सामने कुछ सिक्के पड़े थे। बालमन में बड़ी ठेस पहुंची जिस व्यक्ति ने इतनी सारी पत्रिकाएं मुफ्त में दी थी, वह भीख मांग रहा था। हम दोनों उसके पास पहुंच गए, उसके चेहरे पर प्रसन्नता की लकीरें फैल गयी। वह क्या तुम भीख मांग रहे हो? बड़े भाई ने पूछा! पगला फफक कर रोने लगा। आप लोगों से जुड़ा तो लगा कि आदमी बन गया दिन भर काम करने के बाद भी कोई थकान नहीं और आत्म, अवलंबन विश्वास भी था। उसी आत्मविश्वास की धरोहर लेकर स्टेशन पर आ गया। मूंगफली, रेवड़ी और पत्रिकाएं गाड़ी में बेचकर गुज़ारा कर लेता था। जज साहब के बेटे ने सिर्फ इस बात पर चांटा मार दिया कि जूते पर पॉलिश नहीं था। खाने और रहने की इतनी बड़ी कीमत चुकाना मेरे बस की बात नहीं थी इस कारण वहाँ से चला आया। फिर जब यह सुना कि जज साहब ने सबको यह बताया कि पगला चोरी करते हुए पाया गया तो मन खट्टा हो गया। दुर्भाग्य तो बचपन से जैसे दिन-रात की तरह मेरी नियति से जुड़ा ही हो तीन दिन पहले रेलमंत्री की जुलूस वालों ने स्टेशन पर ज्यादती की। खोमचे वालों के खोमचे लूट लिए गए और उसी हुड़दंग में मेरी जमा-पूंजी भी तितर-बितर हो गयी। बड़ा रोया मैं और निराश होकर उस कोने में बैठ गया, क्योंकि ज्यादा रोने का कोई औचित्य ही नहीं था यदि रोता भी तो कौन सुनता न किसी से सहानुभूति मिलने की आशा थी। पता चला इज्जत देकर किसी से काम लेना इंसान को कठिन लगता है। भीख देना आसान है क्योंकि किसी के आत्मसम्मान को कुचलना बड़ा सुख देता होगा। भईया आपकी सौगन्ध जो इन भीख वालों का एक पैसा भी मैंने उठाया हो।

बड़ा भाई कही से पकोड़े ले आया और हम तीनों ने उसे खाना प्रारम्भ किया जैसे मानो साथ में कैरम बोर्ड की महफिल आज यहाँ स्टेशन पर फिर से सज गयी हो। खैर गाड़ी आ चुकी थी। मेहमान को घर लेकर जाना था। जाते वक्त बीस रुपये का नोट निकालकर देने लगे तो पगला फिर से रोने लगा। इन भीख देने वालों से मेरी कोई अपेक्षा नहीं थी पर आपसे अपने मान की अपेक्षा तो है ही, आप यह मत करो। बड़े भाई ने संजीदगी से कहा कि नहीं मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा हूँ। हमने आपसे सैकड़ों पत्रिकाएँ मुफ्त में पढ़ी हैं। हम उनका मूल्य तो नहीं चुका सकते परंतु जितना है यही है। शायद इससे तुम्हारा कुछ काम बन जाए, इन पैसों से पत्रिकाएँ खरीद कर अपनी दुकान पुनः चालू करो और समझो तुम्हारी खोई हुई पत्रिकाएँ तुम्हे वापिस मिल गयी। हमें भी अपने ऋण से मुक्त होने दो।

जाते वक्त एक ही बात मेरे मन में कौंध रही थी कि मनुष्य की विडम्बना है कि उसका दंभ और अहं एक ऐसा परदा है कि उसे कोई आदमी दिखता ही नहीं। आज जब थोड़े पैसों के लिए ईमान बेचे जाते हैं तो फिर आत्माभिमान और निष्काम सेवा शायद पगलों तक ही सीमित रह गई हैं या फिर जिनके जेहन में इस तरह के विचार पनपने लगते हैं उन्हें पगले का ओहदा दे दिया जाता है। पगले के आत्माभिमान व निष्काम सेवा से सभी रहवासियों को लाभ होता था, लेकिन किसी के पास भी इन विचारधाराओं को संरक्षित करने का मनोबल नहीं था। अपने आत्माभिमान को जीवित रखने के लिए पगले को शायद रेलवे स्टेशन से अच्छा और उपयुक्त स्थान नहीं मिला, जो वह यहाँ स्टेशन पर आकर स्वाभिमान को बचाते हुए अपना जीवन निर्वहन करने लग था। पैसे कमाने के बहुत सारे उपाय हमें बताए जाते हैं, परंतु सम्मान कमाने के उपाय सहसा ही कही मिल जाए। सप्ताह भर पश्चात मेहमान को छोड़ने के लिए पुनः स्टेशन पर आना पड़ा लेकिन पगला इस बार नहीं मिला। न जाने इस बार आत्माभिमान बचाने और सम्मान कमाने के लिए किस स्थान पर चला गया था या फिर किसी चोरी के जुर्म में निष्कासित कर दिया गया था।

- आंचलिक कार्यालय, भोपाल

हिंदी में ही अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता है।– राजा राम मोहन राय

जितिन मल्होत्रा

फेसबुक

हर सुबह मैं पार्क जाता था। वहां जॉगिंग करता तथा बाद में बाबा रामदेव की विभिन्न एक्सरसाईज जैसे ताली बजाना, जोर-जोर से हंसना और अपने आसन पर लेट कर कई एक्सारसाईज करवाने वाले ग्रुप में भी भाग लेता था। इस ग्रुप में सभी उम्र के स्त्री-पुरुष शामिल थे। पार्क में जब मैं जॉगिंग कर रहा होता तो अक्सर एक अंकल-आंटी को हाथ में मोबाइल लिए पार्क के कोने वाले बेंच पर गुमसुम बैठा देखता।

शुरू-शुरू में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया पर बाद में एक दिन उनके पास से गुज़रते हुए ध्यान दिया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वह आंटी मुझसे कुछ कहना चाहती हो। आखिरकार एक दिन जॉगिंग करने के बाद मैं उनके पास बेंच पर जा बैठा तो आपसी परिचय के बाद पता चला कि उनका एक बेटा है जो अपने परिवार के साथ विदेश में रहता है तथा हर महीने उनको खर्चा पानी भेजता रहता है। अंकल भी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हैं तथा उनको भी पेंशन मिलती है जिससे घर खर्च बहुत आसानी से चल जाता है।

जब मैं उठकर चलने लगा तो आंटी बोली बेटा! मेरा एक काम कर दोगे?मैंने कहा हाँ-हाँ......कहिए ना आंटी। तो आंटी ने कहा कि तुम्हारे अंकल ने मुझे फोन तो ला दिया परंतु हमें फेसबुक लोड करना नहीं आता। तुम कर दो ना प्लीज! और साथ ही एक अच्छी सी हीरोईन की फोटो भी अपलोड कर देना ताकि देखने वालों को अच्छी लगे। मैंने मन में सोचा आखिर आंटी ऐसा करके करना क्या चाहती है। खैर, मैंने फेसबुक लोड कर दी और श्रद्धा कपूर का फोटो भी डाल दिया। फिर मैंने नाम के लिए आंटी से पूछा तो उन्होंने कहा कोई प्यारा सा नाम डाल देना जो आजकल के लड़कों को पसंद आए। मैंने रिंकी नाम डाल दिया। आंटी ने मेरा धन्यवाद किया और उठकर चलने लगीं तो मैंने झिझकते हुए पूछा कि आंटी आपने ये फोटो और नाम क्यों अपलोड करवाया है तो आंटी ने कहा कि पैसे तो बेटा हर महीने भेज देता है परंतु पोता-पोती की शक्ल देखे कई महीने हो गए हैं। मैंने सुना है कि फेसबुक पर सब की फोटो अपलोड कर सकते हैं। तब आंटी ने बताया कि पहले मैंने अपने नाम से अपने बेटे को फ्रैंड रिक्वेस्ट भेजी थी तो काफी दिन इंतज़ार करने के बाद भी आज तक उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। बेटा तुम तो समझ सकते हो कि अब इस उम्र में हमारी फ्रैंड रिक्वेस्ट को कौन एक्सेप्ट करेगा। इसलिए मैंने नये नंबर से नई फोटो तथा नये नाम से फ्रैंड रिक्वेस्ट भेजने का सोचा है शायद किसी अंजान की फ्रैंड रिक्वेस्ट को वो स्वीकार कर ले। इसी बहाने हम अपने पोता-पोती को बड़ा होते हुए तो देख ही लेंगे। इसके बाद आंटी ने इतना कुछ बताया परंतु तब तक मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि यह सब सुनकर मेरे दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई तथा बाकी कुछ मुझे समझ नहीं आया। इसके बाद वो अंकल-आंटी अपने चेहरे पर एक नई चमक लिए अपने घर की और चले गये। परंतु मैं यह सोचता ही रह गया कि आखिर ऐसा भी होता है फेसबुक करने में दुनिया भर की फ्रैंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं परंतु उनकी फ्रैंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में झिझकते क्यों है जिन्होंने हमें जन्म दिया और इस संसार में लाये जिनकी बदौलत इस संसार में हम रह रहे हैं तथा फेसबुक का आनंद ले रहे हैं। इस सबसे मैंने सबक लिया कि मैं कभी भी अपने जन्मदाताओं की फ्रैंड रिक्वेस्ट को अनएक्सेप्ट नहीं करूंगा।

उस दिन के बाद मैं ऑफिस के काम से कई दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था तथा जब घर पहुंचा तो दूसरे दिन से अपनी रूटीन के मुताबिक पार्क गया तो देखा कि वही आंटी-अंकल उसी बेंच पर बैठे शायद मुझे ही ढूंढ रहे थे। मैं जैसे ही पार्क मे घुसा तो आंटी ने मुझे बुलाया और बोली धन्यवाद! मैंने पूछा आंटी क्या हुआ तो उन्होंने खिले चेहरे से अपना फोन दिखाया और बोली देख बेटा! मेरा आइडिया काम कर गया तथा मेरे बेटे ने मेरी फ्रैंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है तथा अपनी फेमिली की फोटो भी एटेच करी हैं। फेसबुक पर अपने परिवार की फोटो देखकर ऐसा लगता है कि वो सब हर समय हमारे पास है। उसके बाद वो अंकल-आंटी खुशी-खुशी अपने घर चले गए और मैं भी अपनी जॉगिंग तथा एक्सरसाईज करके घर आ गया। इस सब से मुझे भी एक अजीब सा सुकून मिला।

- सुपुत्र श्रीमती नीलम मल्होत्रा
प्र. का. आई. टी. विभाग, नई दिल्ली

हिंदी जमीन से जुड़ी हुई भाषा है।– शिवराज वि. पाटील

उद्घाटन

आंचलिक कार्यालय, देहरादून के नए परिसर 30, मोहब्बेवाला, सहारनपुर रोड, देहरादून का उद्घाटन करते हुए आंचलिक प्रबंधक, श्री नेत्रानन्द सेठी, सहायक महाप्रबंधक, श्री जे. एस. अरोड़ा, मुख्य प्रबंधक श्री अनिल कुमार हुरिया तथा अन्य स्टाफ-सदस्य।

आंचलिक कार्यालय, देहरादून के नए परिसर 30, मोहब्बेवाला, सहारनपुर रोड, देहरादून में स्थित आंचलिक प्रबंधक के कक्ष में उपस्थित शाखा प्रबंधक तथा आंचलिक कार्यालय के समस्त कार्मिक।

ICE
Awards 2015
Certificate of Merit
awarded to
ANKUR
of
PUNJAB & SIND BANK

बैंक गृहपत्रिका राजभाषा अंकुर को वर्ष 2015 का आई.सी.ई. अवार्ड प्राप्त हुआ।

भावभीनी विदाई

स्थानीय प्रधान कार्यालय, चंडीगढ़ के महाप्रबंधक श्री सत्यपाल सिंह कोहली ने बैंक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। उन्हें दिनांक 04.04.2015 को स्थानीय प्रधान कार्यालय से सेवा-निवृत्त किया गया। उप महाप्रबंधक श्री रमिंदर जीत सिंह व स्थानीय प्रधान कार्यालय के अधिकारीगण उन्हें विदाई स्वरूप उपहार भेंट करते हुए।

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2015-16 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (तार, बेतार, टेलेक्स, फैक्स, आरेख, ई-मेल आदि सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के 100% कार्यालय/व्यक्ति	1. ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2. ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ख क्षेत्र से क व ख 100% क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के 100% कार्यालय/व्यक्ति	1. ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2. ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3. ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के 85% कार्यालय/व्यक्ति
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी टंकक/आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
5.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं अथवा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
6.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
7.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
8.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजीटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेनड्राईव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
9.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलैक्ट्रानिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%	100%	100%
10.	वेबसाइट	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)
11.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों का प्रदर्शन	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)
12.	क) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./नि./स.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	ख) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	ग) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण		
13.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	क) हिंदी सलाहकार समिति	वर्ष में 02 बैठकें (न्यूनतम)		
	ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 02 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)		
	ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)		
14.	कोड, मैन्युअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%		
15.	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/बैंक/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां सारा कार्य हिंदी में हो	40%	30% (न्यूनतम अनुभाग)	20%
		सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं हो, में "क" क्षेत्र में कुल कार्यक्षेत्र का 40: "ख" क्षेत्र में 25: और "ग" क्षेत्र में 15: कार्य हिंदी में किया जाए।		

हमारा बैंक और जन योजनाएँ

भटिंडा क्षेत्र से संसद सदस्य तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री सुश्री हरसिमरन कौर बादल का अभिवादन करते हुए बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय श्री जतिन्दर बीर सिंह। मध्य में पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल दृष्टव्य हैं।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

कम ब्याज दरों पर हाउसिंग, ऑटो और उपभोक्ता लोन

■ ब्याज केवल प्रतिदिन शेष राशि पर ■ कोई अग्रिम ईएमआई नहीं

हाउसिंग लोन

न्यूनतम ईएमआई ₹ **849** प्रति लाख
(40 साल के लिए, ₹ 75 लाख की ऋण राशि तक)

उपभोक्ता लोन

न्यूनतम ईएमआई ₹ **2263** प्रति लाख
(ऋण 5 साल की अवधि के लिए)

ऑटो लोन

न्यूनतम ईएमआई ₹ **1673** प्रति लाख

- ऋण अवधि 7 वर्ष के लिए

प्रक्रिया समय 48 घंटे

अधिक जानकारी के लिए हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें या **1800 419 8300** (ऑल इंडिया टोल फ्री) डायल करें
हमारी वेबसाइट देखें : **www.psbindia.com**

प्रकृति की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा